

परिशिष्ट 1.1 भाग - ए
(संदर्भ कंडिका - झारखण्ड की रूप रेखा; पृष्ठ 1)

झारखण्ड का परिचय						
ए. सामान्य आँकड़ा						
क्र.सं.	विवरण					आँकड़ा
1	क्षेत्रफल					79714 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या					
	(ए)	2001 के जनगणना के अनुसार				2.69 करोड़
	(बी)	2010-11				3.30 करोड़
3	(ए)	जनसंख्या का घनत्व ¹ (2001 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)				338 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.
	(बी)	जनसंख्या का घनत्व (2011 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)				414 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या ² (अखिल भारतीय अनुपात 30 प्रतिशत)					42.4 प्रतिशत
5	(ए)	साक्षरता ¹ (2001 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय अनुपात 64.80 प्रतिशत)				44 प्रतिशत
	(बी)	साक्षरता (2011 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय अनुपात 72.99 प्रतिशत)				66.41 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर ¹ (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय = 40 प्रति 1000 जीवित जन्म)					37
7	गिनी गुणांक ³					
	(ए)	ग्रामीण (अखिल भारत = 0.29)				0.24
	(बी)	शहरी (अखिल भारत = 0.38)				0.36
8	वर्ष 2010-11 को आधार मानते हुए चालू मूल्य पर 2015-16 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)					₹ 241955 करोड़
9	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2006-07 से 2015-16)				झारखण्ड	13.77 प्रतिशत
					सामान्य श्रेणी राज्य	14.27 प्रतिशत
10	स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2006-07 से 2015-16) ⁴				झारखण्ड	15.35 प्रतिशत
					सामान्य श्रेणी राज्य	15.75 प्रतिशत
11	जनसंख्या वृद्धि ⁵ (2006-07 से 2015-16)				झारखण्ड	13.17 प्रतिशत
					सामान्य श्रेणी राज्य	12.24 प्रतिशत
बी. वित्तीय आँकड़ा ⁴						
क्र.सं.	विवरण		आँकड़ा (प्रतिशत में)			
			2006-07 से 2014-15		2014-15 से 2015-16	
	सी.ए.जी.आर.		सामान्य श्रेणी राज्य	झारखण्ड	सामान्य श्रेणी राज्य	झारखण्ड
1.	ए.	राजस्व प्राप्तियों का	14.74	15.44	15.00	28.75
2.	बी.	कर राजस्व का	15.08	15.85	13.28	10.90
3.	सी.	गैर कर राजस्व का	10.20	16.82	6.00	35.02
4.	डी.	कुल व्यय का	16.71	16.91	16.42	36.76
5.	ई.	कुल पूँजीगत व्यय	13.21	18.14	25.80	47.19
6.	एफ.	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	17.08	16.02	12.17	14.05
7.	जी.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	18.70	16.65	13.44	34.98
8.	एच.	वेतन एवं मजदूरी का	15.48	13.23	9.95	10.80
9.	आई.	पेंशन का	15.59	22.59	11.79	15.22

¹ सेंसस इंडो इण्डिया 2011 के अनंतिम कुल जनसंख्या

² गरीबी मापन के प्रक्रिया की समीक्षा हेतु विशेषज्ञ समूह (रंगराजन) योजना आयोग (जून 2014) का प्रतिवेदन, पृष्ठ-66

³ <http://planningcommission.nic.in/data/datatable/data2312/DatabookDec2014%20106.pdf>

⁴ CSO (http://mospi.nic.in/Mospi_New/site/inner.asp?statijs=3&menu_id=82). 2015-16 के लिए असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, राजस्थान, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल से संबंधित स.रा.घ.उ. के आँकड़े संगत महालेखाकार कार्यालयों से प्राप्त किए गए हैं।

⁵ केंद्र एवं राज्यों के लिए जनगणना अनुमान 2001-2026 (दिसम्बर 2006 पुनरीक्षित) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा संयोजित जनसंख्या अनुमानन के लिए तकनीकी समूह के प्रतिवेदन तालिका -14 (1 अक्टूबर 2001-26 को लिंगवार कुल अनुमानित जनसंख्या)

परिशिष्ट 1.1 भाग- बी
सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा
(संदर्भ कंडिका 1.1; पृष्ठ 2)

सरकारी लेखाओं की संरचना: राज्य सरकार के लेखे तीन भाग में रखे जाते हैं (1) संचित निधि, (2) आकस्मिकता निधि और (3) लोक लेखा।

भाग I: संचित निधि: राज्य सरकार द्वारा पाये गये सारे राजस्व, ट्रेजरी बिल जारी करने के लिए गये सारे कर्ज, आंतरिक और बाह्य कर्ज और सरकार द्वारा प्राप्त सभी तरह की राशि जो कर्ज के भुगतान में मिली हो, एक संचित निधि को निर्मित करती है जिसे "राज्य सरकार की संचित निधि" कहते हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के तहत गठित होती है।

भाग II: आकस्मिकता निधि:- राज्य सरकार के आकस्मिकता निधि संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के तहत स्थापित होती है, एक इम्प्रेस्ट की तरह की होती है जो राज्यपाल के अधिकार में रहती है जिससे कि वह आवश्यक गैर-अनुमानित खर्चों को कर सकें जो विधान सभा से अनुमोदन के लिए पड़ी हो। इस तरह के खर्चों को विधानमण्डल से अनुमोदन और बराबर राशि संचित निधि से निकाला जाता है जबकि आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम वापस निधि में डाले जाते हैं।

भाग III: लोक लेखा: कुछ लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा उचन्त, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण, जो संचित निधि के भाग नहीं होते हैं, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत लोक लेखा के अंतर्गत रखे जाते हैं और राज्य विधानमण्डल के द्वारा मत का विषय नहीं होता है।

भाग - सी: वित्त लेखे का अभिन्यास

विवरणी	रूपरेखा
विवरणी सं. 1	वर्ष के अंत में सरकार की परिसम्पतियों एवं दायित्वों के संचयी आँकड़ों को दर्शाता है। ये परिसम्पतियाँ सरकार की भौतिक परिसम्पतियों का उल्लेख करते हुए प्रगामी पूँजीगत व्यय के आँकड़ों सहित वित्तीय सम्पतियाँ हैं। लेखांकन नीति के अनुसार परिसम्पतियाँ ऐतिहासिक मूल्य को दर्शाती है।
विवरणी सं. 2	यह वर्ष के दौरान सरकार के कुल प्राप्तियाँ तथा व्यय के संक्षिप्त विवरणी है जो सरकार के लेखे के तीन भाग- संचित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे में संधारित किए जाते हैं।
विवरणी सं. 3	इस विवरणी में राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ तथा सरकार के उधार जो भारत सरकार एवं अन्य संस्थाओं से ऋण, बाजार ऋण तथा सरकार द्वारा लिये गये ऋण अग्रिमों के सापेक्ष पुनर्भुगतान से मिलकर बना है, शामिल है।
विवरणी सं. 4	यह कार्यात्मक एवं प्रकृति अनुसार व्यय का संक्षिप्त विवरण है।
विवरणी सं. 5	यह प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है जिसका पूर्ण योग विवरण-1 में दिया गया है।
विवरणी सं. 6	यह सरकार के उधार को प्रस्तुत करता है जिसमें बाजार ऋण एवं भारत सरकार के ऋण एवं अग्रिम शामिल है। इसके साथ अन्य दायित्वों जो लोक लेखा के विभिन्न खंडों में शेष है और जिसके लिए सरकार अभिरक्षक या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है।
विवरणी सं. 7	यह सरकार के ऋण एवं अग्रिमों (खंड एवं उधारकर्ता के ग्रुप के अनुसार) जिसे विवरणी-1 में दर्शाया गया है तथा जिनकी प्राप्तियाँ तथा संवितरण को विवरण संख्या 2, 3 एवं 4 में दर्शाया गया है।
विवरणी सं. 8	यह विभिन्न संस्थाओं के शेयर पूँजी में सरकारी निवेश का तुलनात्मक सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 9	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं के लिए सरकार द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान हेतु दी गयी गारंटियों की संक्षिप्त विवरणी प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.10	यह समूह-वार अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों द्वारा आयोजित सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदानों को दर्शाता है। लेखा टिप्पणी भी इसके साथ शामिल रहती है।
विवरणी सं.11	वर्ष के दौरान भारत एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण को दर्शाती है।
विवरणी सं.12	यह पूँजीगत एवं अन्य व्यय (राजस्व लेखे को छोड़कर) एवं व्यय हेतु निधि के स्रोत को दर्शाता है।
विवरणी सं.13	संचित निधि आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से संबंधित शेष का संक्षिप्त विवरणी प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.14	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.15	यह योजना एवं गैर-योजना के अंतर्गत अलग अलग लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय के लेखाओं को दर्शाता है।
विवरणी सं.16	वर्ष 2015-16 के दौरान और अंत में पूँजीगत व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रदर्शित करती है।
विवरणी सं.17	यह लघु शीर्षों के अनुसार उधारों का विवरण तथा उनके मैचुरिटी प्रोफाइल को दर्शाता है।
विवरणी सं.18	झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों, वर्ष के दौरान ऋण के पुनर्भुगतान की राशि 31 मार्च 2015 का अधिशेष तथा वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.19	वर्ष 2015-16 के अंत तक राज्य सरकार का सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त, स्टॉक कम्पनियों, सहकारी बैंकों तथा संस्थाओं आदि में राज्य सरकार के निवेश का विस्तृत ब्यौरा दर्शाती है।
विवरणी सं. 20	वैधानिक निकाय, सरकारी कम्पनियों, निकाय एवं अन्य संस्थाओं के ऋण इत्यादि के लिए पुनर्भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटी का विवरण प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 21	आकस्मिकता निधि और लोक लेखा का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 22	आरक्षित निधियों के चिन्हित अधिशेषों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करती है।

परिशिष्ट 1.2

राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत कार्य प्रणाली

(संदर्भ: कडिका 1.1; पृष्ठ 2)

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा विहित वित्तीय परिवर्तनीय मानदंडों/सीमाओं एवं इसके साथ चयनित राजकोषीय समुच्चय और राज्य सरकारों द्वारा निर्मित राजकोषीय जबाबदेही अधिनियम एवं आवश्यक विवरण जिसे अधिनियम के अधीन विधान मंडल में प्रस्तुत किया जाना है, को मुख्य राजकोषीय योगों की प्रवृत्ति एवं नमूना के गुणात्मक निर्धारण हेतु उपयोग में लाया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य अर्थव्यवस्था के अच्छे संकेत तक मानते हुए, वर्तमान बाजार मूल्य से सकल राज्य घरेलू उत्पाद में मुख्य राजकोषीय योगों जैसे कर और कर-भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूँजीकृत व्यय, आन्तरिक ऋण और राजस्व और राजकोषीय घाटा की प्रतिशतता को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। सुसंगत राजकोषीय चरों का उत्प्लावकता को-एफीसिएंट को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जिससे साधनों का जुटान, व्यय का पैटर्न आदि की गणना की जा सके साथ ही आधार एवं राजकोषीय योगों, सकल राज्य घरेलू उत्पाद को छोड़कर, में अन्य कारणों से परिवर्तन के साथ चला जा सके।

पिछले पाँच वर्षों का स.रा.घ.उ. का रुझान नीचे दर्शाया गया है:

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) की प्रवृत्ति

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	150918	174724	188567	217107	241955
स.रा.घ.उ. की विकास दर	18.6	15.8	7.9	15.1	11.4
स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार का वेबसाइट।					

शब्दावली	गणना का आधार
प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचल की वृद्धि दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य प्राचल (Y) के संबंध में प्राचल की उत्प्लावकता (X)	प्राचल की वृद्धि दर(X)/प्राचल की वृद्धि दर(Y)
वृद्धि की दर (वृ.द.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/गत वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवार्य + आर्थिक सेवार्य
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान}/[(\text{पूर्व के राजकोषीय दायित्व की राशि} + \text{वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व})2]*100$
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि - औसत ब्याज दर
मात्रा विस्तार	ऋण स्टॉक का * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों की प्रतिशतता में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज $[(\text{आरंभिक शेष}+\text{ऋण एवं अग्रिम का अंत शेष})2]*100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्ति-विविध पूँजीगत प्राप्ति
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा- ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व घाटा घटाव सभी योजना अनुदान और गैर-योजना राजस्व व्यय, 2048 शीर्ष के अन्तर्गत ऋण बचाव हेतु विनियोग से घटाव के अधीन लिखित व्यय को छोड़कर
संसाधन अंतराल	बढ़त गैर-ऋण प्राप्ति घटाव बढ़त प्राथमिक राजस्व व्यय + बढ़त ब्याज प्राप्ति

परिशिष्ट 1.3

राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आँकड़े
(संदर्भ: कंडिका 1.1, 1.3 एवं 1.9.2; पृष्ठ 2, 11 एवं 37)

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
भाग-क प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	22420(89)	24770(83)	26137(85)	31565(83)	40638 (75)
(i) कर राजस्व	6954(31)	8224(33)	9380(36)	10350(33)	11479(28)
कृषि आय पर कर	-	-	-	-	
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	5522(79)	6422(78)	7305(78)	8070(78)	8999(78)
राजस्व उत्पाद	457(7)	578(7)	628(7)	740(7)	912(8)
वाहनों पर कर	392(6)	465(6)	495(5)	660(6)	633(6)
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	401(6)	492(6)	502(5)	531(5)	532(5)
भू-राजस्व	53(1)	96(1)	230(3)	84(1)	164(1)
माल एवं यात्रियों पर कर	41(0)	1(0)	1(0)	1(0)	1(0)
अन्य कर	88(1)	170(2)	219(2)	264(3)	238(2)
(ii) कर भिन्न राजस्व	3038(14)	3536(14)	3753(14)	4335(14)	5853(14)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	7170(32)	8188(33)	8939(34)	9487(30)	15969(39)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	5258(23)	4822(20)	4065(16)	7393(23)	7337(18)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	24	43	23	33	31
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	22444	24813	26160	31598	40669
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	2671(11)	5199(17)	4703(15)	6690(17)	13245(25)
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	2409	4591	4281	6537	13080
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	229	369	316	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	33	239	106	153	165
6. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	25115	30012	30863	38288	53914
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	10813	14495	14275	20189	29037
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	35928	44507	45138	58477	82951
भाग-ख व्यय/ संवितरण					
10. राजस्व व्यय	20992(86)	23400(83)	23472(82)	31795(83)	36553(70)
योजना	7646(36)	7743(33)	6288(27)	12436(39)	15793
गैर योजना	13346(64)	15657(67)	17184(73)	19359(61)	20760
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	7846(37)	8696(37)	9960(42)	10624(33)	12002
सामाजिक सेवाएँ	7287(35)	8309(36)	8215(35)	11915(37)	
आर्थिक सेवाएँ	5859(28)	6395(27)	5297(23)	9256(29)	14844
सहायता अनुदान एवं अंश दान	-	शून्य	शून्य	शून्य	9707
11. पूँजीगत व्यय	3159(13)	4218(15)	4722(17)	5543(15)	8159(16)
योजना	3111(98)	4151(98)	4706(100)	5520(100)	8087
गैर योजना	48(2)	67(2)	16(0)	23(0)	72

सामान्य सेवाएँ	156(5)	176(4)	168(3)	326(6)	571
सामाजिक सेवाएँ	866(27)	1030(25)	924(20)	910(16)	1024
आर्थिक सेवाएँ	2137(68)	3012(71)	3630(77)	4307(78)	6564
12. ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	217(1)	601(2)	222(1)	824(2)	7480⁶(14)
13. कुल (10+11+12)	24368	28219	28416	38162	52192
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1639	2183	1997	1880	2246
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	1406(86)	1525(70)	1542(77)	1722(92)	2079(93)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	78(5)	520(24)	316(16)	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	155(9)	138(6)	139(7)	158(8)	167(7)
15. आकस्मिकता निधि से विनियोजन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16. संचित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	26007	30402	30413	40042	54438
17. आकस्मिकता निधि से संवितरण	-	-	-	-	0
18. लोक लेखा संवितरण	9728	13417	14094	19277	27053
19. राज्य द्वारा कुल वितरण (16+17+18)	35735	43819	44507	59319	81491
भाग-ग घाटे					
20. राजस्व घाटा(-)/राजस्व आधिक्य(+) (1-10)	(+)1428	(+)1370	(+)2665	(-)230	(+)4085
21. राजकोषीय घाटा(-)/आधिक्य(+) (4-13)	(-)1924	(-)3406	(-)2256	(-)6564	(-)11523⁷
22. प्राथमिक घाटा(-)/आधिक्य(+) (21-23)	(+)343	(-)1015	(+)358	(-)3635	(-)8203
भाग-घ. अन्य आँकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सन्निहित)	2267	2391	2614	2929	3320
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	4530	6950	6422	12404	14891
25. अर्थोपाय अग्रिम/उपमुक्त ओवरड्राफ्ट(दिन)	6	13	8	-	0
उपमुक्त अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	6	13	8	-	-
उपमुक्त ओवरड्राफ्ट (दिन)	0	0	0	0	0
26. अर्थोपाय अग्रिम/उपमुक्त ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	0.03	0.32	0.21	0	0
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)[@]	150918	174724	188567	217107	241955
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अंत में)	30664	34869	37594	43569	56530
29. बकाया प्रतिभूतियाँ (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	-	-	-	-	157
30. अधिकतम प्रत्याभूत राशि (वर्ष के अंत में)	-	-	-	-	157
31. अपूर्ण योजनाओं की संख्या (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक)	182	189	328	402	195
32. अपूर्ण योजनाओं में अवरूढ़ पूँजी	573	1972	760	1824	2089

⁶ इस ऋण में राज्य द्वारा उदय बॉण्ड पर लिए गये ₹ 5,553 करोड़ का ऋण भी शामिल है।

⁷ यदि उदय बॉण्ड के उधारों से बिजली कंपनियों को दिये गये ऋण को राजकोषीय घाटे की गणना हेतु विचार न किया जाये, जैसा कि त्रिपक्षीय समझौते के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया तो राजकोषीय घाटा की राशि कम हो जायेगी।

भाग-ड. राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
I संसाधन संग्रहण					
स्वयं के कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	4.6	4.7	5.0	4.8	4.7
स्वयं के कर से भिन्न राजस्व/स.रा.घ.उ.	2.0	2.0	2.0	2.0	2.4
केंद्रीय अंतरण/स.रा.घ.उ.	8.2	7.4	6.9	7.8	9.6
II व्यय प्रबंध					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	16.1	16.2	15.1	17.6	21.6
कुल व्यय/राजस्व प्राप्ति	108.7	113.9	108.7	120.9	128.4
राजस्व व्यय/कुल व्यय	86.1	82.9	82.6	83.3	70.0
सामाजिक सेवा पर व्यय (ऋ.व अ. सहित)/कुल व्यय	33.5	33.2	32.2	33.7	30.49
आर्थिक सेवा पर व्यय (ऋ.व अ. सहित)/कुल व्यय	33.6	35.3	32.1	37.6	45.33
पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	13.0	14.9	16.6	14.5	15.6
सामाजिक सेवा एवं आर्थिक सेवा पर पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	12.3	14.3	16.0	13.7	14.5
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	(+)0.9	(+)0.8	(+)1.4	(-)0.1	(+)1.7
राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ.	(-)1.3	(-)1.9	(-)1.2	(-)3.0	(-)4.8 ⁸
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	(+)0.2	(-)0.6	(+) 0.2	(-)1.7	(-)3.4
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	(+)74.2	(+)40.2	(+)118.1	(-)3.5	(-)35.5
प्राथमिक राजस्व संतुलन/ स.रा.घ.उ.	2.4	2.2	2.8	1.2	3.1
IV राजकोषीय दायित्व का प्रबंध					
राजकोषीय दायित्व/स.रा.घ.उ.	20.3	20.0	19.9	20.1	23.4
राजकोषीय दायित्व/रा.प्रा.	136.8	140.8	143.8	138.03	139.1
प्रमात्रा विस्तार के संदर्भ में प्राथमिक घाटा	(+)3474	(+)1584	(+)605	(-)658	(-)6107
ऋण निर्माणन (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्ति	3.9	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
निवेश पर आय	1.17	15.00	18.00	शून्य	0.47
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	6855	5782	6208	6593	14226
वित्तीय परिसम्पत्ति/दायित्व	95	98	100	103	109

टिप्पणी: दूसरे अवयवों से तुलना के दौरान घाटा को (-) एवं आधिक्य को (+) के रूप में दिखाया गया है।

@ ऑकड़े सी.एस.ओ. से प्राप्त किये गये।

(http://mospi.nic.in/Mospi_New/site/inner.asp?statijjs=3&menu_id=82)

⁸ यदि उदय बॉण्ड के उधारों से बिजली कंपनियों को दिये गये ऋण को राजकोषीय घाटे की गणना हेतु विचार न किया जाये, जैसा कि त्रिपक्षीय समझौते के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया तो राजकोषीय घाटा से स.रा.घ.उ. प्रतिशतता 2.5 प्रतिशत होगी।

परिशिष्ट 1.4 भाग - ए
वर्ष 2015-16 के लिए प्राप्तियाँ एवं संवितरणों का सार
(संदर्भ: कंडिका 1.1.1; पृष्ठ 2)

(₹ करोड़ में)

वर्ष 2015-16 के लिए प्राप्तियाँ एवं संवितरणों का सार									
प्राप्तियाँ				संवितरण					
2014-15		2015-16		2014-15		गैर योजना	योजना	कुल	2015-16
अनुभाग क: राजस्व									
31564.56	I. राजस्व प्राप्तियाँ	40638.35	31794.90	I. राजस्व व्यय	20759.81	15793.02	36552.83	36552.83	
10349.81	कर राजस्व	11478.95	10623.45	सामान्य सेवाएँ	11466.21	536.22	12002.43		
			11915.34	सामाजिक सेवाएँ	5474.94	9368.87	14843.81		
4335.06	कर-भिन्न राजस्व	5853.01	5744.53	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	3314.00	3228.46	6542.46		
			1358.00	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	770.76	1062.62	1833.38		
9487.01	संघीय करों में राज्य के हिस्से	15968.75	1739.48	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और नगर विकास	591.82	1797.79	2389.61		
			65.95	सूचना एवं प्रसारण	69.91	30.92	100.83		
1780.26	गैर-योजना अनुदान	1685.82	859.77	अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	107.85	1060.70	1168.55		
4914.70	राज्य योजना हेतु अनुदान	4950.18	91.25	श्रम एवं श्रम कल्याण	50.29	62.54	112.83		
			2034.37	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	546.01	2125.84	2671.85		
697.72	केन्द्र एवं केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	701.64	21.98	अन्य	24.30	0	24.3		
			9256.12	आर्थिक सेवाएँ	3818.66	5887.93	9706.59		
			1090.04	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	493.16	981.69	1474.85		
			3501.31	ग्रामीण विकास	1027.13	3145.66	4172.79		
			0	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0	0	0		
			330.08	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	319.73	0.57	320.3		
			2343.92	उर्जा	1602.48	601.96	2204.44		
			237.22	उद्योग एवं खनिज	49.5	271.98	321.48		
			835.77	परिवहन	244.12	103.85	347.97		
			0	विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	0	0	0		
			917.78	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	82.54	782.22	864.76		
			0	सहायता अनुदान एवं अंशदान	0	0	0		
			31794.90	कुल	20759.81	15793.02	36552.83		
230.34	II. खण्ड-ख में ले जाया गया राजस्व घाटा	0	0	II. खण्ड ख में ले जाया गया राजस्व आधिक्य/घाटा					4085.52
31794.90	कुल	40638.35	40638.35	31794.90	कुल				40638.35

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

अनुभाग ख									
1285.48	III.आरंभिक रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित		444.21	0	III.रिजर्व बैंक से प्राप्त ओवरड्राफ्ट				0
	IV.विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ			5542.94	IV. पूँजीगत परिव्यय	72.23	8086.28	8158.51	8158.51
				326.34	सामान्य सेवाएँ	68.36	503.00	571.36	
				909.50	सामाजिक सेवाएँ	3.87	1019.54	1023.41	
				82.97	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	0	103.39	103.39	
				260.97	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0	339.87	339.87	
				188.90	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	4.02	243.00	247.02	
				0.45	सूचना एवं प्रसारण	0	0.55	0.55	
				172.72	अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	-0.15	234.53	234.38	
				160.02	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	0	88.80	88.80	
				43.47	अन्य	0	9.40	9.40	
				4307.10	आर्थिक सेवाएँ	0	6563.74	6563.74	
				93.30	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	0	114.65	114.65	
				1360.22	ग्रामीण विकास	0	1751.54	1751.54	
					- विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0	0	0	
				378.94	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0	1156.94	1156.94	
					- उर्जा	0	0	0	
				1.16	उद्योग एवं खनिज	0	1.00	1.00	
				2459.95	परिवहन	0	3476.19	3476.19	
				13.53	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	0	63.42	63.42	
				5542.94	कुल	0	6563.74	6563.74	
33.06	V ऋण एवं अग्रिम का वसूली	31.06	31.06	823.78	V ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	72.23	7407.77	7480.00	7480.00
0	विद्युत परियोजना से	0		779.04	विद्युत परियोजना को	0	7375.42	7375.42	
23.41	सरकारी सेवकों से	30.34		16.94	सरकारी सेवकों को	49.64	0	49.64	
9.65	अन्य से	0.72		27.8	अन्य को	22.59	32.35	54.94	
0	VI. नीचे लाया गया राजस्व आधिक्य		4085.52	230.34	VI.नीचे लाया गया राजस्व घाटा	0	0	0	0
6690.12	VII. लोक ऋण प्राप्तियाँ		13244.65	1879.88	VII. लोक ऋण पुनर्भुगतान				2245.93
6536.91	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट छोड़कर आंतरिक ऋण	13079.63		1721.71	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट छोड़कर आंतरिक ऋण			2079.42	

0	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत लेन-देन	0		0	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत लेन-देन			0	
0	ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	0		0	ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन			0	
153.21	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	165.02		158.17	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान			166.51	
	VIII आकस्मिकता निधि से विनियोग				VIII आकस्मिकता निधि से विनियोग				
	IX आकस्मिकता निधि से राशि का स्थानांतरण				IX आकस्मिकता निधि से व्यय				
20189.17	X लोक लेखा प्राप्ति		29036.72	19276.68	X लोक लेखा संवितरण				27053.00
842.57	लघु बचत एवं भविष्य निधि	830.10		1045.13	लघु बचत एवं भविष्य निधि			988.95	
307.85	रक्षित निधि	521.68		32.62	रक्षित निधि			512.01	
18.08	उचन्त एवं विविध	161.25		34.37	उचन्त एवं विविध			140.23	
6838.22	प्रेषण	8025.01		7076.00	प्रेषण			8024.29	
12182.45	जमा एवं अग्रिम	19498.68		11088.56	जमा एवं अग्रिम			17387.52	
	अन्तर्राज्यीय समायोजन				- अन्तर्राज्यीय समायोजन			0	
	XI भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट का अंत शेष			444.21	XI वर्ष के अंत का रोकड़ शेष			1904.72	1904.72
				0	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण			0	
				-224.13	रिजर्व बैंक में जमा			-203.93	
				2.21	स्थायी अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष			6.41	
				0	चिन्हित निधि का निवेश			0	
				666.13	रोकड़ शेष का निवेश			2102.24	
59992.73	कुल		87480.51	59992.73	कुल				87480.51

परिशिष्ट 1.4 भाग - बी
31 मार्च 2016 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति
(संदर्भ: कंडिका 1.9.1; पृष्ठ 36)

(₹ करोड़ में)

31.03.15 को	दायित्व	31.03.16 को
32755.36	आन्तरिक ऋण	43755.57
18799.46	ब्याज वाले बाजार ऋण	23554.73
0.18	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.07
6.30	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	6.30
3960.58	अन्य संस्थाओं से ऋण	9632.51
0	अर्थोपाय अग्रिम	0
9989.02	केन्द्र सरकार के एन.एस.एस. निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	10561.96
0	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	0
2086.99	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2085.49
0	1984-85 के पूर्व कार्य ऋण	0
23.67	गैर योजना ऋण	21.39
2063.32	राज्य योजनागत योजना हेतु ऋण	2064.10
150.00	आकस्मिकता निधि	500.00
1356.02	लघु बचत भविष्य निधि	1197.17
6503.93	जमा	8615.79
866.79	रक्षित निधि	876.46
0	अंतरण शेष	0
101.43	उचंत एवं विविध शेष	122.45
1402.84	व्यय से अधिक संचित आधिक्य की प्राप्ति	5138.36
45223.40	कुल	62291.29
	सम्पत्ति	
36014.79	अचल संपत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय	44173.30
155.01	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयर में निवेश	171.99 [#]
35859.78	अन्य पूँजीगत परिव्यय	44001.31
	अन्तर्राज्यीय समायोजन	0
8737.16	ऋण एवं अग्रिम	16186.10
8079.60	शक्ति परियोजना के लिए ऋण	15455.02
682.43	अन्य विकास ऋण	736.65
-24.87	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अन्य ऋण	-5.57
3.80	अग्रिम	4.50
0	उचंत एवं विविध शेष	0
444.21	नगद	1904.72
0	कोषागार में नगद एवं अस्थानीय प्रेषण	0
-224.13	रिजर्व बैंक में जमा	-203.93
0	जमा निधि का निवेश	0
2.21	विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम के साथ	6.41
666.13	नगद शेष निवेश	2102.24
23.40	प्रेषण शेष	22.67

0.00	सरकारी लेखे में घाटा		
	(i) वर्ष के दौरान राजस्व आधिक्य/घाटा		
	(ii) विविध घाटा		
	वर्ष के शुरुआत में संचय घाटा/आधिक्य		
45223.40	कुल		62291.29

निगम के लेखाओं में ₹ 5.75 करोड़ उनके स्रोत की अनुपलब्धता के कारण शामिल नहीं किये गये हैं।

परिशिष्ट 1.3 एवं 1.4 से संबंधित विस्तार टिप्पणी

पूर्ववर्ती विवरणियों में संक्षिप्त लेखे में व्याख्या और टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाना है। सरकारी लेखे मुख्यतः रोकड़ आधारित होता है, सरकारी लेखा में घाटा जैसा कि **परिशिष्ट 1.4 भाग बी.** में दिखाया गया है संभूति आधारित वाणिज्यिक लेखे के विपरीत रोकड़ आधारित स्थिति को इंगित करता है। तदन्तर, भुगतये या प्राप्त योग्य मर्दे या भण्डार आँकड़ों में विचलन या हास वाली मर्दे इत्यादि लेखे में चित्रित नहीं है। उचन्त और विविध शेष में अभुगतित निर्गत चेक अन्य लंबित समायोजन और राज्य की ओर से किया गया भुगतान सम्मिलित है। ₹ 9.33 करोड़ (निवल विकलन) के अंतर को भारतीय रिजर्व बैंक, पटना को समायोजन के लिए भेजा गया एवं अक्टूबर 1987 से पहले की अवधि के लिए शेष ₹ 1.61 करोड़ का समायोजन प्रक्रियाधीन है (अगस्त 2016)

परिशिष्ट 1.5 भाग-ए

74^{वें} संवैधानिक संशोधन अधिनियम(अनुसूची XII) के अनुसार स्थानीय नगर निकायों के कार्यों का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 1.6.5; पृष्ठ 25)

क्र.सं.	कार्यों का विवरण
1	नगर योजना सहित शहरी नियोजन
2	भू-प्रयोग एवं आवासों के निर्माण का विनियमन
3	आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजना निर्माण
4	सड़क एवं पुल
5	घरेलू, औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपयोग हेतु जल आपूर्ति
6	लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण एवं ठोस कचरा प्रबंधन
7	अग्निशामक सेवा
8	नगर वानिकी, वातावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकीय पहलुओं का संवर्धन
9	शारीरिक एवं मानसिक विकलांगों सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण
10	गंदी बस्ती सुधार एवं उन्नयन
11	शहरी निर्धनता उन्नयन
12	शहरी सुविधाओं जैसे उद्यानों, बगानों और खेल के मैदानों का प्रावधान
13	सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं सौन्दर्य से संबंधित पहलुओं का संवर्धन
14	कब्र एवं कब्रगाह; श्मशान घाट तथा विद्युतीय शवदाह गृह
15	मवेशी तालाब, जानवरों पर अत्याचार से संरक्षण
16	जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण सांख्यिकी
17	पथ-प्रकाश, पड़ाव-स्थल, बस पड़ाव एवं लोक परिवहन सहित लोक सुविधायें
18	बूचड़खानों एवं चमड़ा-घरों का विनियमन

परिशिष्ट 1.5 भाग-बी

74^{वें} संवैधानिक संशोधन अधिनियम (अनुसूची XII) के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं के कार्यों का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 1.6.5; पृष्ठ 28)

क्र.सं.	क्रियाकलाप का विवरण	हस्तांतरण की स्थिति
1	कृषि व्याप्ति सहित कृषि	आंशिक
2	भू-सुधार, भू-सुधार का कार्यान्वयन, भू-समेकन एवं मृदा संरक्षण	नहीं
3	लघु-सिंचाई, जल प्रबंधन एवं जल आच्छादन विकास	हाँ
4	पशुपालन, दुग्ध एवं मुर्गीपालन	आंशिक
5	मत्स्य पालन	हाँ
6	सामाजिक वानिकी एवं फार्म वानिकी	नहीं
7	लघु वन उत्पाद	नहीं
8	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित लघु उद्योग	आंशिक
9	खादी ग्रामोद्योग	हाँ
10	ग्रामीण आवास	नहीं
11	पेयजल	हाँ
12	ईंधन एवं चारा	नहीं
13	सड़क, पुलिया, पुल, नौकायन एवं यातायात के अन्य साधन	नहीं
14	बिजली वितरण समेत ग्रामीण विद्युतीकरण	नहीं
15	गैर-परंपरागत उर्जा स्रोत	नहीं
16	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	आंशिक
17	प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय सहित शिक्षा	हाँ
18	तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा	नहीं
19	वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा	हाँ
20	पुस्तकालय	नहीं
21	सांस्कृतिक क्रियाकलाप	नहीं
22	बाजार एवं मेले	नहीं
23	अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के साथ औषधालय समेत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ
24	परिवार कल्याण	हाँ
25	महिला एवं बाल कल्याण	हाँ
26	अपंगों एवं मानसिक विकृष्टों के कल्याण समेत सामाजिक कल्याण	हाँ
27	कमजोर वर्ग तथा विशेषतः अ.जा. एवं अ.ज.जा. का कल्याण	नहीं
28	जन वितरण प्रणाली	हाँ
29	लोक परिसम्पत्तियों का रख-रखाव	आंशिक

परिशिष्ट 2.1

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों की विवरणी जहाँ बचत ₹ 10 करोड़ और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक रहा

(संदर्भ कंडिका 2.4.1; पृष्ठ 50)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	बचत	
				राशि	कुल प्रावधान से बचत का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
राजस्व					
1	1	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	1344.75	750.47	55.81
2	2	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	184.28	37.66	20.44
3	3	भवन निर्माण विभाग	133.81	35.68	26.66
4	11	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	32.21	12.63	39.24
5	12	योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	47.19	10.80	22.89
6	14	ऋण की वापसी/अदायगी	20.00	20.00	100.00
7	17	वाणिज्य कर विभाग	68.55	18.45	26.91
8	18	खादय, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	1284.43	505.63	39.37
9	20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2765.90	947.27	34.25
10	21	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	1059.99	283.70	26.76
11	23	उद्योग विभाग	433.83	132.47	30.54
12	26	श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	1492.13	1088.29	72.94
13	29	खनन एवं भू-तत्व विभाग	37.13	12.47	33.58
14	35	योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	1146.58	691.14	60.28
15	36	पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	1352.58	553.57	40.93
16	40	राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	436.94	112.41	25.73
17	42	ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	3757.32	1281.11	34.10
18	43	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रावैधिकी प्रभाग)	103.61	24.90	24.03
19	45	सूचना प्रौद्योगिकी ई-गवर्नेन्स विभाग	198.34	89.58	45.16
20	48	नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2444.57	888.44	36.34
21	49	जल संसाधन विभाग	362.76	105.11	28.98
22	50	जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	98.21	28.94	29.47
23	52	पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	84.80	26.68	31.46

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	बचत	
				राशि	कुल प्रावधान से बचत का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
राजस्व					
24	53	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	46.17	11.66	25.25
25	54	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	238.93	58.92	24.66
26	56	ग्रामीण विकास विभाग (पंचायतीराज प्रभाग)	2329.32	1506.36	64.67
27	58	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	1435.84	383.22	26.69
28	59	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग)	6480.13	2008.48	30.99
29	60	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	2975.50	1107.13	37.21
पूँजीगत					
30	1	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	54.74	11.62	21.23
31	2	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	36.76	24.87	67.66
32	20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	537.95	198.08	36.82
33	22	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	374.59	163.78	43.72
34	26	श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	75.18	62.37	82.96
35	30	कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	108.05	40.31	37.31
36	36	पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	318.09	125.02	39.30
37	43	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रावैधिकी प्रभाग)	132.30	48.27	36.49
38	45	सूचना प्रौद्योगिकी ई-गवर्नेन्स विभाग	34.00	33.99	99.97
39	49	जल संसाधन विभाग	1653.99	544.62	32.93
40	50	जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	567.96	520.39	91.62
41	51	कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	222.90	56.27	25.24
42	53	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	39.67	14.36	36.20
43	55	ग्रामीण कार्य विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	2063.40	538.98	26.12
44	60	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	254.00	165.20	65.04
कुल			38869.38	15281.30	39.31

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

परिशिष्ट 2.2

उप-शीर्षवार विवरण जहाँ वर्ष 2015-16 के दौरान पर्याप्त बचत (₹ 20 करोड़ एवं अधिक) हुआ

(संदर्भ कंडिका 2.4.1; पृष्ठ 50)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
1.	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-796-28 (सी.एस.एस.)	45.00	24.20	कारण नहीं बताये गये हैं।
2.		2401-00-796-ए0	40.11	23.24	कारण नहीं बताये गये हैं।
3.		2401-00-796-ए.एफ (सी.एस.एस.)	116.30	71.28	कारण नहीं बताये गये हैं।
4.		2401-00-796-ए.एफ	72.30	42.08	कारण नहीं बताये गये हैं।
5.		2401-00-800-ए.एफ (सी.एस.एस.)	55.95	26.79	कारण नहीं बताये गये हैं।
6.		2401-00-789-91	24.00	24.00	केन्द्र सरकार द्वारा आर.के.भी.वाड़. योजना हेतु निधियों के पैटर्न में परिवर्तन के कारण
7.		2401-00-800-91	94.00	94.00	केन्द्र सरकार द्वारा आर.के.भी.वाड़. योजना हेतु निधियों के पैटर्न में परिवर्तन के कारण
8.	8- परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	5053-02-796-05	20.00	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
9.	10-ऊर्जा विभाग	6801-00-201-24	20.00	20.00	(i) प्रस्ताव की अप्राप्ति (₹ 8.00 करोड़) (ii) कारण असूचित (₹ 12.00 करोड़)
10.	13-ब्याज संदाय	2049-01-200-02	385.00	141.53	(i) निधि का अत्यधिक प्रावधान (₹ 3.80 करोड़) (ii) कारण असूचित (₹ 137.73 करोड़).
11.		2049-03-104-01	250.00	247.64	कारण नहीं बताये गये हैं।
12.		2049-01-200-10	30.00	30.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
13.	14-ऋण की वापसी/अदायगी	2048-00-101-01	20.00	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
14.		6003-00-109-02	100.00	67.17	कारण नहीं बताये गये हैं।
15.	15-पेंशन	2071-01-101-05	25.00	22.63	कारण नहीं बताये गये हैं।
16.		2071-01-101-08	120.00	96.95	कारण नहीं बताये गये हैं।
17.		2071-01-102-04	250.00	110.13	कारण नहीं बताये गये हैं।
18.		2071-01-104-04	550.00	78.96	कारण नहीं बताये गये हैं।
19.		2071-01-115-03	350.00	50.97	कारण नहीं बताये गये हैं।
20.		2071-01-117-03	300.	85.43	कारण नहीं बताये गये हैं।
21.	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3456-00-102-38	122.75	57.41	(i) निधि का अत्यधिक प्रावधान (₹ 15 करोड़), (ii) निविदा की प्रक्रिया में विलम्ब के कारण चीनी का अभाव (₹ 42.41 करोड़)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
22.	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3456-00-102-40	212.20	71.14	(i) बी.पी.एल. परिवारों को चीनी वितरण हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता (₹ 9.00 करोड़), (ii) एन.एफ.एस.ए. के कार्यावयन के कारण केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कम दर (₹ 40.00 करोड़) (iii) खाद्यान्न का उठाव नहीं (₹ 23.00 करोड़) (iv) कारण असूचित (₹ 6.52 लाख)
23.		3456-00-789-40	70.60	22.39	(i) बी.पी.एल. परिवारों को चीनी वितरण हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता (₹ एक करोड़), (ii) खाद्यान्न का उठाव नहीं (₹ 23.34 करोड़) (iii) वित्त विभाग द्वारा राशि के 15 प्रतिशत आहरण पर प्रतिबंध (₹4.34 करोड़)
24.		3456-00-796-27	30.47	26.22	सिस्टम इंटीग्रेटर के चयन में विलम्ब (₹ 26.21 करोड़)
25.		3456-00-796-38	182.88	104.01	(i) निधि का अत्यधिक प्रावधान (₹ 13.00 करोड़) (ii) निविदा की प्रक्रिया में विलम्ब के कारण चीनी का अभाव (₹ 91.01 करोड़).
26.		3456-00-796-40	277.50	81.88	(i) बी.पी.एल. परिवारों को चीनी वितरण हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता (₹ 7.00 करोड़), (ii) खाद्यान्न का उठाव नहीं (₹ 28.00 करोड़) (iii) वित्त विभाग द्वारा राशि के 15 प्रतिशत आहरण पर प्रतिबंध(₹10.28 करोड़)
27.	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-001-39 (सी.एस.एस.)	690.00	381.25	कारण नहीं बताये गये हैं।
28.		2210-01-001-39	293.39	65.86	कारण नहीं बताये गये हैं।
29.		2210-01-109-40 (सी.एस.एस.)	50.00	44.95	कारण नहीं बताये गये हैं।
30.		2210-02-103-03	98.86	27.95	कारण नहीं बताये गये हैं।
31.		2211-00-101-01	100.00	40.29	भारत सरकार से निधि की अप्राप्ति
32.		2210-01-796-46	20.00	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
33.		2210-01-101-21 (सी.एस.एस.)	30.00	30.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
34.		2230-01-103-42 (सी.एस.एस.)	25.00	25.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
35.		2230-01-796-42 (सी.एस.एस.)	25.00	25.00	कारण नहीं बताये गये हैं।

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
36.	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	4210-02-796-48	40.00	20.19	कारण नहीं बताये गये हैं।
37.	21-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	2202-03-102-87	50.60	39.48	विश्वविद्यालय से माँग की अप्राप्ति
38.		2202-03-102-62	59.94	59.94	भारत सरकार से निधि की अप्राप्ति
39.		2202-03-102-63	26.38	26.38	भारत सरकार से निधि की अप्राप्ति
40.	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-110-01	226.23	56.72	भारत सरकार से निधि की अप्राप्ति
41.		4055-00-207-72	48.50	43.26	कारण नहीं बताये गये हैं।
42.		4055-00-207-73	40.00	36.13	भारत सरकार से योजना की अस्वीकृति
43.	23-उद्योग विभाग	2851-00-107-16 (सी.एस.एस.)	24.00	24.00	केन्द्रीय रेशम उत्पादन बोर्ड द्वारा योजना का समापन
44.		2235-03-101-01	87.48	69.21	कारण नहीं बताये गये हैं।
45.		2235-03-101-03	150.29	115.15	कारण नहीं बताये गये हैं।
46.		2235-03-101-04	87.26	76.15	कारण नहीं बताये गये हैं।
47.		2235-03-101-05	39.54	28.59	कारण नहीं बताये गये हैं।
48.		2235-03-101-08	39.54	28.59	कारण नहीं बताये गये हैं।
49.		2235-03-789-03	60.39	46.29	कारण नहीं बताये गये हैं।
50.		2235-03-789-04	32.72	27.70	कारण नहीं बताये गये हैं।
51.		2235-03-796-07	23.40	23.36	कारण नहीं बताये गये हैं।
52.		2230-01-103-10 (सी.एस.एस.)	25.00	25.00	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को योजना का हस्तांतरण
53.	26-श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	2230-01-796-10 (सी.एस.एस.)	25.00	25.00	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को योजना का हस्तांतरण
54.		2230-03-003-51 (सी.पी.एस.)	20.00	20.00	केन्द्र सरकार से केन्द्रीय योजना का विमोचन नहीं
55.		2230-03-796-51 (सी.पी.एस.)	30.00	30.00	केन्द्र सरकार से केन्द्रीय योजना का विमोचन नहीं
56.		2235-03-101-07	23.40	23.40	कारण नहीं बताये गये हैं।
57.		2235-03-789-01	35.54	26.49	कारण नहीं बताये गये हैं।
58.		2235-03-796-01	103.49	76.52	कारण नहीं बताये गये हैं।
59.		2235-03-789-03	176.57	122.68	कारण नहीं बताये गये हैं।
60.		2235-03-789-04	98.17	80.23	कारण नहीं बताये गये हैं।
61.		2235-03-789-05	45.81	29.88	कारण नहीं बताये गये हैं।
62.		2235-03-789-08	45.81	31.89	कारण नहीं बताये गये हैं।
63.	35-योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	2053-00-796-11	240.00	227.11	कारण नहीं बताये गये हैं।
64.		2053-00-796-24	100.00	41.05	कारण नहीं बताये गये हैं।
65.		2053-00-800-11	237.04	225.07	कारण नहीं बताये गये हैं।
66.		2053-00-796-31	30.00	30.00	श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास को कौशल विकास का पुनर्स्थापना

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
67.	35-योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	2235-02-102-01	50.00	50.00	सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग को योजना का हस्तांतरण
68.		2235-02-796-01	50.00	50.00	सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग को योजना का हस्तांतरण
69.	36-पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-102-10 (सी.एस.एस.)	150.87	52.86	कारण नहीं बताये गये हैं।
70.		2215-01-102-10	140.15	70.07	कारण नहीं बताये गये हैं।
71.		2215-01-106-11 (सी.एस.एस.)	152.00	120.17	कारण नहीं बताये गये हैं।
72.		2215-01-789-10 (सी.एस.एस.)	42.11	26.81	कारण नहीं बताये गये हैं।
73.		2215-01-789-11 (सी.एस.एस.)	30.57	21.23	कारण नहीं बताये गये हैं।
74.		2215-01-796-10	88.34	63.84	कारण नहीं बताये गये हैं।
75.		2215-01-796-10 (सी.एस.एस.)	82.06	41.03	₹25.00 करोड़ का राज्य बजट में प्रावधान नहीं किया गया। शेष राशि असूचित।
76.		2215-01-796-11 (सी.एस.एस.)	123.11	110.80	कारण नहीं बताये गये हैं।
77.		2215-01-789-10	39.12	24.99	कारण नहीं बताये गये हैं।
78.		4215-01-102-02	113.34	37.68	कारण नहीं बताये गये हैं।
79.		4215-01-789-02	32.32	20.61	कारण नहीं बताये गये हैं।
80.		4215-01-796-02	86.78	37.10	कारण नहीं बताये गये हैं।
81.	39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	2245-01-101-02	30.00	30.00	निधि की अनावश्यकता।
82.	41-पथ निर्माण विभाग	5054-03-101-03	129.40	26.75	(i) वित्त विभाग द्वारा 15 प्रतिशत राशि के आहरण पर प्रतिबंध (₹ 1.75 करोड़) (ii) पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कमी (₹ 25.00 करोड़)
83.		5054-03-796-10	358.14	75.39	कारण नहीं बताये गये हैं।
84.	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2501-02-796-01	61.89	58.40	आई.डब्ल्यू.एम.पी. स्कीम के कार्यान्वयन हेतु प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का आरम्भ
85.		2501-02-789-05 (सी.एस.एस.)	45.00	29.99	कारण नहीं बताये गये हैं।
86.		2501-02-796-05 (सी.एस.एस.)	108.00	71.97	कारण नहीं बताये गये हैं।
87.		2501-02-800-05 (सी.एस.एस.)	147.00	97.96	कारण नहीं बताये गये हैं।
88.		2505-02-101-04 (सी.एस.एस.)	820.53	340.92	अनुमानित वास्तविक व्यय से परे आहरण

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
89.	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2505-02-789-04 (सी.एस.एस.)	251.18	104.36	अनुमानित वास्तवित व्यय से परे आहरण
90.		2505-02-789-04	602.84	250.47	अनुमानित वास्तवित व्यय से परे आहरण
91.		2501-02-101-01 (सी.एस.एस.)	79.38	79.38	आई.डब्ल्यू.एम.पी. स्कीम के कार्यान्वयन हेतु प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का आरम्भ
92.		2501-02-789-01 (सी.एस.एस.)	24.30	24.30	आई.डब्ल्यू.एम.पी. स्कीम के कार्यान्वयन हेतु प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का आरम्भ
93.	43-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रावैधिकी प्रभाग)	4202-02-105-06 (सी.पी.एस.)	50.00	47.54	कारण नहीं बताये गये हैं।
94.	45-सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेन्स विभाग	2203-00-001-10	75.00	75.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
95.		4202-02-105-70	23.00	22.99	कारण नहीं बताये गये हैं।
96.	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2215-01-191-01	80.00	40.00	निधि की कम माँग
97.		2215-02-796-12	45.00	20.00	चयनित निकायों में स्कीम का प्रारम्भ
98.		2217-80-191-63	24.10	24.6	मुख्य रूप से भारत सरकार से अधिक निधि का आवंटन नहीं
99.		2217-80-191-64	66.60	66.50	मुख्य रूप से भारत सरकार से अधिक निधि का आवंटन नहीं
100.		2217-80-191-68	46.78	23.53	कारण नहीं बताये गये हैं।
101.		2217-80-191-76	24.45	22.87	कारण नहीं बताये गये हैं।
102.		2217-80-191-78	78.00	39.00	(i) निधि की माँग नहीं (₹ 30.00 करोड़) (ii) कारण असूचित (₹ 9.00 करोड़)
103.		2217-80-796-60 (सी.एस.एस.)	22.50	21.79	कारण नहीं बताये गये हैं।
104.		2217-80-796-64 (सी.एस.एस.)	52.00	51.82	(i) भारत सरकार से अधिक निधि का आवंटन नहीं (₹ 50.00 करोड़) (ii) कारण असूचित
105.		2217-80-796-78	71.00	26.00	(i) वांछित माँग की अप्राप्ति (₹21.00 करोड़) (ii) कारण असूचित (₹ 5.00 करोड़)
106.		2217-80-191-62 (सी.एस.एस.)	24.40	24.40	भारत सरकार से केन्द्रीय योजना की अप्राप्ति
107.		2217-80-789-61	30.00	30.00	केन्द्रांश का आवंटन नहीं
108.		2217-80-789-62 (सी.एस.एस.)	70.00	70.00	भारत सरकार से निधि की अप्राप्ति
109.		2217-80-789-67	20.00	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
110.	2217-80-789-77 (सी.एस.एस.)	131.00	131.00	भारत सरकार से निधि की अप्राप्ति	

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
111.	49-जल संसाधन विभाग	2700-01-001-02	164.82	36.59	कारण नहीं बताये गये हैं।
112.		2701-03-001-06	68.89	25.72	कारण नहीं बताये गये हैं।
113.		2701-03-001-07	110.93	38.29	कारण नहीं बताये गये हैं।
114.		4700-80-789-12	261.75	242.65	कारण नहीं बताये गये हैं।
115.		4700-80-796-11	126.00	102.66	कारण नहीं बताये गये हैं।
116.		4700-80-796-12	426.25	166.25	कारण नहीं बताये गये हैं।
117.		4701-00-796-54	40.00	20.81	कारण नहीं बताये गये हैं।
118.		4701-00-800-54	45.00	24.03	कारण नहीं बताये गये हैं।
119.	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	2702-02-005-01	93.19	28.60	कारण नहीं बताये गये हैं।
120.		4702-00-101-19	31.00	26.49	कारण नहीं बताये गये हैं।
121.		4702-00-101-28	27.00	26.96	कारण नहीं बताये गये हैं।
122.		4702-00-101-35	103.00	102.32	कारण नहीं बताये गये हैं।
123.		4702-00-796-19	35.00	25.05	कारण नहीं बताये गये हैं।
124.		4702-00-796-28	70.00	69.76	कारण नहीं बताये गये हैं।
125.		4702-00-796-35	212.00	211.86	कारण नहीं बताये गये हैं।
126.		4702-00-789-20	25.00	25.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
127.	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	2225-01-789-67	40.00	20.00	वित्त विभाग द्वारा निर्देशित तृतीय अनुपूरक के माध्यम से बजट प्रावधान करना
128.		2225-01-789-89 (सी.एस.एस.)	30.00	30.00	केन्द्र सरकार द्वारा आर.टी.जी.एस. के माध्यम से दोनों एजेंसी (झालकोलैम्प एवं झामकोलैम्प) को प्रत्यक्ष रूप से निधि का हस्तांतरण
129.	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	2515-00-001-28	100.00	29.96	कारण नहीं बताये गये हैं।
130.		4515-00-103-04	716.70	298.35	(i) निधि का अत्यधिक प्रावधान (₹ 66.68) (ii) कारण असूचित (₹ 232.67 करोड़).
131.		4515-00-789-04	63.50	62.86	कारण नहीं बताये गये हैं।
132.		4515-00-796-04	854.80	257.47	(i) अत्यधिक बजट प्रावधान (₹ 76.02 करोड़), (ii) कारण असूचित (₹181.45 करोड़)
133.		4515-00-796-07	63.25	33.11	कम मानव शक्ति
134.	56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2515-00-001-05	200.00	44.93	कारण नहीं बताये गये हैं।
135.		2515-00-101-37	61.53	45.45	कारण नहीं बताये गये हैं।
136.		2515-00-001-15	255.05	255.05	कारण नहीं बताये गये हैं।
137.		2515-00-001-38	170.00	170.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
138.		2515-00-789-15	55.90	55.90	कारण नहीं बताये गये हैं।
139.		2515-00-789-38	85.00	85.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
140.		2515-00-796-15	158.05	158.05	कारण नहीं बताये गये हैं।
141.		2515-00-796-37	25.81	25.81	कारण नहीं बताये गये हैं।
142.		2515-00-796-38	255.00	255.00	कारण नहीं बताये गये हैं।

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण	
143.	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	2202-00-109-01	420.55	129.85	कारण नहीं बताये गये हैं।	
144.		2202-00-109-35 (सी.एस.एस.)	59.63	58.28	कारण नहीं बताये गये हैं।	
145.		2202-00-789-45 (सी.एस.एस.)	37.88	28.88	कारण नहीं बताये गये हैं।	
146.		2202-00-796-35	22.50	22.25	कारण नहीं बताये गये हैं।	
147.		2202-02-109-35 (सी.एस.एस.)	20.00	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं।	
148.		2202-02-109-45 (सी.एस.एस.)	29.30	29.30	कारण नहीं बताये गये हैं।	
149.	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग)	2202-01-101-01	2310.64	391.70	(i) निधि की अनावश्यकता (₹81.54 करोड़), (ii) कारण असूचित (₹ 310.14 करोड़)	
150.		2202-01-101-01 (सी.एस.एस.)	156.50	49.26	कारण नहीं बताये गये हैं।	
151.		2202-01-102-02	491.23	335.33	कारण नहीं बताये गये हैं।	
152.		2202-01-111-25 (सी.एस.एस.)	719.38	401.96	कारण असूचित (₹ 394.03 करोड़)	
153.		2202-01-111-25	275.62	79.44	कारण असूचित (₹ 64.03 करोड़)	
154.		2202-01-789-03	59.45	24.36	कारण नहीं बताये गये हैं।	
155.		2202-01-789-25 (सी.एस.एस.)	130.80	48.51	कारण नहीं बताये गये हैं।	
156.		2202-01-789-25	117.14	41.15	कारण असूचित (₹ 32.02 करोड़)	
157.		2202-01-796-03 (सी.एस.एस.)	165.76	103.44	कारण नहीं बताये गये हैं।	
158.		2202-01-796-25 (सी.एस.एस.)	457.79	298.80	कारण नहीं बताये गये हैं।	
159.		2202-01-796-25	296.29	91.29	कारण असूचित (₹ 75.19 करोड़)	
160.		60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	2235-02-001-51 (सी.एस.एस.)	206.09	108.90	कारण नहीं बताये गये हैं।
161.			2235-02-001-51	75.90	41.70	कारण नहीं बताये गये हैं।
162.	2235-02-796-51 (सी.एस.एस.)		223.27	104.33	कारण नहीं बताये गये हैं।	
163.	2235-02-795-51		84.10	45.04	कारण नहीं बताये गये हैं।	
164.	2235-03-101-12		114.93	21.40	कारण नहीं बताये गये हैं।	
165.	2235-03-101-13		76.93	36.35	कारण नहीं बताये गये हैं।	
166.	2235-03-101-16		23.40	22.95	कारण नहीं बताये गये हैं।	
167.	2235-03-796-12		123.64	23.15	कारण नहीं बताये गये हैं।	
168.	2235-03-796-13		80.97	36.27	कारण नहीं बताये गये हैं।	
169.	2236-02-101-02		151.99	65.17	कारण नहीं बताये गये हैं।	
170.	2236-02-796-02 (सी.एस.एस.)		177.93	74.83	कारण नहीं बताये गये हैं।	

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
171.	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	2235-02-106-96 (सी.एस.एस.)	65.46	65.46	कारण नहीं बताये गये हैं।
172.		2235-02-796-96 (सी.एस.एस.)	70.91	70.91	कारण नहीं बताये गये हैं।
173.		4235-02-103-73 (सी.एस.एस.)	86.40	63.36	कारण नहीं बताये गये हैं।
174.		4235-02-796-73 (सी.एस.एस.)	93.60	68.64	कारण नहीं बताये गये हैं।
कुल			24541.07	12732.17	

परिशिष्ट 2.3

₹ एक करोड़ एवं अधिक बचत की विवरणी जो अभ्यर्पित नहीं की गई
(संदर्भ कंडिका 2.4.2; पृष्ठ 50)

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	बचत	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित नहीं की गई बचत राशि
1	2	3	4	5
राजस्व				
1	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	750.47	623.49	126.98
2	2-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	37.66	30.72	6.94
3	3-भवन निर्माण विभाग	35.68	34.34	1.34
4	5-राज्यपाल सचिवालय	1.62	0.00	1.62
5	14-ऋण की वापसी/अदायगी	20.00	0.00	20.00
6	15-पेंशन	595.13	0.00	595.13
7	19-वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	84.07	79.51	4.56
8	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	947.27	937.93	9.34
9	21-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	283.70	260.46	23.24
10	23-उद्योग विभाग	132.47	129.48	2.99
11	41-पथ निर्माण विभाग	29.55	15.66	13.89
12	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	1281.11	1190.13	90.98
13	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	888.44	876.08	12.36
14	49-जल संसाधन विभाग	105.11	87.52	17.59
15	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	28.94	25.22	3.72
16	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	162.99	83.89	79.10
17	54-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	58.92	47.39	11.53
18	55-ग्रामीण कार्य विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	48.70	47.64	1.06
19	56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	1506.36	1481.25	25.11
20	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	383.22	236.76	146.46

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	बचत	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित नहीं की गई बचत राशि
1	2	3	4	5
राजस्व				
21	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग)	2008.48	1939.17	69.31
22	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	1107.13	1081.23	25.90
पूँजीगत				
23	2-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	24.87	22.47	2.40
24	3-भवन निर्माण विभाग	45.75	41.44	4.31
25	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	163.78	162.71	1.07
26	30-कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	40.31	9.48	30.83
27	41-पथ निर्माण विभाग	14.37	5.36	9.01
28	46-पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)	3.18	1.24	1.94
29	49-जल संसाधन विभाग	544.62	494.72	49.90
30	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	520.39	426.96	93.43
31	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	56.27	3.41	52.86
32	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	5.65	3.65	2.00
कुल		11916.21	10379.31	1536.90

परिशिष्ट 2.4

31 मार्च 2016 को ₹ 10 करोड़ से अधिक अभ्यर्पित राशि के मामले

(संदर्भ: कंडिका 2.4.2; पृष्ठ 51)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष	अभ्यर्पण की राशि
1.	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-796-02	10.57
2.		2401-00-102-A0	22.33
3.		2401-00-796-99	10.04
4.		2401-00-796-A0	31.23
5.	3-भवन निर्माण विभाग	2059-80-001-04	16.13
6.	10-ऊर्जा विभाग	2801-80-800-08	12.04
7.		6801-00-190-38	496.63
8.		6801-00-800-37	11.60
9.	11-उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	2039-00-001-02	11.31
10.	13-ब्याज संदाय	2049-01-200-02	137.73
11.		2049-01-200-11	13.97
12.	14-ऋण की वापसी/अदायगी	6003-00-109-01	26.56
13.		6003-00-109-02	54.67
14.	17-वाणिज्य कर विभाग	2040-00-101-02	12.22
15.	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3456-00-102-40	17.08
16.		3456-00-796-38	25.01
17.		3456-00-796-40	10.28
18.	19-वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	2406-01-110-51	16.05
19.	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-03-103-01	14.93
20.		2210-03-103-03	24.89
21.		2210-01-200-46	10.00
22.		2210-01-796-46	20.00
23.		4210-02-103-10	17.18
24.		4210-02-110-17	16.71
25.		4210-02-796-01	12.27
26.		2211-00-101-01	40.29
27.		2210-01-103-39	184.62
28.		2210-01-103-45	14.57
29.		2210-01-109-40	44.95
30.		2210-05-105-16	18.00
31.		2210-05-105-21	37.00
32.		2230-01-103-42	33.00
33.		2230-01-789-42	14.00
34.		2230-01-796-42	33.00

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष	अभ्यर्पण की राशि
35.	21-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	2202-03-102-62	59.94
36.		2202-03-102-63	26.38
37.		2202-03-102-66	16.68
38.		2202-03-102-67	15.72
39.		2202-03-102-87	39.48
40.		2202-03-102-88	14.94
41.	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-104-05	10.38
42.		2055-00-109-01	29.17
43.		2055-00-109-98	10.94
44.		2055-00-110-01	56.61
45.		2056-00-101-01	16.60
46.		2056-00-101-02	10.45
47.		4055-00-207-72	43.26
48.		4055-00-207-73	36.13
49.		4055-00-207-43	21.54
50.		4055-00-207-45	22.42
51.	26-श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	2230-03-101-02	16.33
52.		2230-03-003-51	20.00
53.		2230-03-796-51	30.00
54.		4250-00-203-04	10.00
55.		4250-00-796-04	10.00
56.		4250-00-796-08	10.00
57.	35-योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	2053-00-796-37	15.00
58.	36-पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	4215-01-102-02	26.20
59.		4215-01-789-02	20.32
60.		4215-01-796-02	15.01
61.	39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	2245-01-101-01	13.00
62.		2245-01-101-02	30.00
63.		2245-01-282-01	14.50
64.	40-राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	2053-00-093-01	14.92
65.		2029-00-103-01	15.26
66.		2029-00-102-04	17.56
67.		2029-00-796-04	26.40
68.	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2501-06-101-05	13.59
69.		2501-06-789-05	33.24
70.		2501-06-796-04	16.98
71.		2501-06-796-05	83.01
72.		2501-06-800-04	16.01
73.		2501-06-800-05	97.96
74.		2505-01-789-02	11.86
75.		2505-02-101-04	340.92
76.		2505-02-789-04	104.36
77.		2505-02-796-04	250.47

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष	अभ्यर्पण की राशि
78	43-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रावैधिकी प्रभाग)	4202-02-105-06	17.54
79	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2217-80-191-68	23.53
80		2217-80-191-73	14.00
81		2217-80-191-76	20.87
82		2217-80-796-60	21.79
83		2217-80-796-68	16.92
84		2217-80-796-73	10.85
85	49-जल संसाधन विभाग	2700-01-001-02	11.33
86		2701-03-001-06	10.44
87		2701-03-001-07	20.27
88	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	2702-02-005-01	14.89
89		4702-00-101-19	23.50
90	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	2225-02-277-04	14.76
91	55-ग्रामीण कार्य विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	2515-00-001-28	28.91
92		4515-00-103-07	18.25
93		4515-00-796-07	33.09
94	56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2515-00-001-03	13.49
95		2515-00-001-05	43.98
96		2515-00-198-44	326.41
97	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	2202-02-109-62	11.33
98		2202-02-109-35	58.28
99		2202-02-109-36	13.14
100		2202-02-789-45	28.88
101		2202-02-796-35	22.25
102		2202-02-796-36	10.24
103		2202-02-796-45	29.30
104	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग)	2202-01-101-01	81.54
105		2202-01-102-02	64.10
106		2202-01-101-15	10.40
107		2202-01-796-15	11.39
108		2202-01-101-03	49.26
109		2202-01-111-25	446.05
110		2202-01-789-03	24.36
111		2202-01-789-25	79.58
112		2202-01-796-03	103.44
113		2202-01-796-25	361.99
114	2202-01-796-27	10.78	
115	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	2235-03-101-12	13.44
116		2235-03-101-13	14.21
117		2235-03-796-13	16.30
118		2235-02-102-51	57.17
119		2235-02-796-51	52.24

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष	अभ्यर्पण की राशि
120	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	2236-02-101-02	69.49
121		2236-02-789-02	18.61
122		2236-02-796-02	75.49
123		4235-02-103-73	20.40
124		4235-02-796-73	19.60
सकल योग			5632.48

परिशिष्ट 2.5

मामले जहाँ अनुपूरक अनुदान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक साबित हुए

(संदर्भ: कंडिका 2.4.4; पृष्ठ 54)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
राजस्व (दत्तमत)					
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	896.69	594.28	302.41	448.06
2	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	173.29	146.61	26.68	10.99
3	3- भवन निर्माण विभाग	126.70	98.13	28.57	7.11
4	4- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)	31.35	29.77	1.59	6.52
5	6- मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग	45.43	40.77	4.66	3.08
6	11- उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	30.56	19.57	10.99	1.65
7	12- योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	45.05	36.39	8.66	2.14
8	13- ब्याज संदाय	3426.94	3320.08	106.86	10.01
9	15- पेंशन	4492.61	3990.01	502.60	92.53
10	17- वाणिज्य कर विभाग	66.11	50.11	16.00	2.44
11	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	1234.11	778.80	455.31	50.32
12	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	492.54	420.84	71.70	12.37
13	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2490.45	1818.63	671.82	275.45
14	21- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	1001.85	776.29	225.56	58.14
15	23- उद्योग विभाग	362.07	301.35	60.72	71.76
16	26- श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	1456.87	403.84	1053.03	35.26
17	27- विधि विभाग	256.14	249.21	6.93	11.06
18	28- झारखण्ड उच्च न्यायालय	57.57	53.41	4.16	5.78
19	29- खनन एवं भू-तत्व विभाग	35.71	24.66	11.05	1.42
20	32- विधान मंडल	59.27	58.25	1.02	4.01
21	33- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग)	22.44	21.37	1.07	2.63

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
राजस्व (दत्तमत)					
22	36- पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	1173.24	799.01	374.23	179.34
23	38- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग)	17.65	17.36	0.29	6.78
24	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	429.94	324.53	105.41	7.00
25	42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	3138.98	2476.21	662.77	618.34
26	43- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रावैधिकी प्रभाग)	90.71	78.71	12.00	12.90
27	48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	1655.64	1556.13	99.51	788.93
28	49- जल संसाधन विभाग	361.10	257.65	103.45	1.66
29	50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	92.92	69.27	23.65	5.29
30	52- पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	79.36	58.12	21.24	5.44
31	53- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	41.12	34.51	6.61	5.05
32	55- ग्रामीण कार्य विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	1008.18	964.62	43.56	5.14
33	56- ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	1522.70	822.96	699.74	806.62
34.	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	1283.10	1052.63	230.47	152.74
35.	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग)	6031.98	4471.64	1560.34	448.15
पूँजीगत (दत्तमत)					
36	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	24.66	11.89	12.77	12.10
37	14- ऋण की वापसी/अदायगी	2258.53	2245.93	12.60	15.50
38	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	429.03	339.87	89.16	108.92
39	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	292.50	210.81	81.69	82.09
40	26- श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	71.20	12.81	58.39	3.98

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
पूँजीगत (दत्तमत)					
41	36- पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	276.79	193.07	83.72	41.30
42	49- जल संसाधन विभाग	1468.91	1109.37	359.54	185.08
43	50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	534.09	47.57	486.52	33.87
44	51- कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	207.84	166.64	41.20	15.06
45	53- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	33.37	25.31	8.06	6.30
सकल योग (राजस्व+पूँजीगत)		39327.29	30578.99	8748.32	4660.31

परिशिष्ट 2.6

पिछले वर्ष के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित

(संदर्भ : कंडिका 2.4.6; पृष्ठ 55)

वर्ष	अनुदानों/ विनियोगों की संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	आधिक्य राशि (₹ करोड़ में)
2001-02	25	सांस्थिक वित्त विभाग	*
2001-02	32	विधान मंडल	0.04
2002-03	32	विधान मंडल	0.08
2003-04	46	पर्यटन विभाग	0.29
2004-05	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	@
2006-07	38	निबंधन विभाग	\$
2010-11	32	विधान मंडल	0.10
2011-12	14	ऋण की वापसी/अदायगी	219.56
2011-12	15	पेंशन	200.60
2011-12	25	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	^
2012-13	7	निगरानी	0.07
2012-13	14	ऋण की वापसी/अदायगी	556.01
2012-13	15	पेंशन	703.44
2012-13	42	ग्रामीण विकास विभाग	3.66
2013-14	13	ब्याज संदाय	139.42
2013-14	14	ऋण की वापसी/अदायगी	181.58
2013-14	15	पेंशन	373.05
2014-15	13	ब्याज संदाय	191.68
2014-15	42	ग्रामीण विकास विभाग	169.53
कुल			2739.12

स्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

* आधिक्य राशि केवल ₹ 8,807 थी।

@ आधिक्य राशि केवल ₹ 1,072 थी।

\$ आधिक्य राशि केवल ₹ 81,665 थी।

^ आधिक्य राशि केवल ₹ 11,160 थी।

परिशिष्ट 2.7
निधि का आधिक्य/अपर्याप्त पुनर्विनियोग
 (संदर्भ : कंडिका 2.4.7; पृष्ठ 56)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	वृद्धि पुनर्विनियोग	कमी पुनर्विनियोग	बचत (-)/ आधिक्य (+)
1	3-भवन निर्माण विभाग	2059-80-001-04	1.00	-	(-)95.47
2	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-101-01	24.40	-	(-)24.40
3	41-पथ निर्माण विभाग	3054-03-337-01	375.00	-	(-)697.62
4	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	2702-02-005-01	1.94		(-)368.83
कुल			402.34		(-)1186.42
5	3-भवन निर्माण विभाग	4059-01-051-48		10.00	(+)4.92
6	19-वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	2406-01-101-03		57.54	(+)42.06
कुल			-	67.54	(+)46.98

परिशिष्ट 2.8

वर्ष के दौरान किये गये पर्याप्त अभ्यर्पण की समीक्षा के परिणाम

(संदर्भ : कंडिका 2.4.8; पृष्ठ 56)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-796-59	राज्य बीज निगम को सहायता अनुदान	200.00	200.00	100
2		4401-00-789-09	कृषिगत योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु कृषि विभाग के आधारभूत संरचना, भू-अधिग्रहण एवं अन्य सहायक सुविधाओं का सुदृढिकरण	150.00	150.00	100
3	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	2403-00-101-67	पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण (पी.पी.आर. नियंत्रण कार्यक्रम)	200.00	200.00	100
4		2403-00-106-10	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता)	200.00	200.00	100
5		2403-00-106-66	पशुधन विकास पर प्रस्तुतीकरण (पशुधन बीमा)	150.00	150.00	100
6		2403-00-789-12	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता)	143.00	143.00	100
7		2403-00-796-12	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता)	79.00	79.00	100
8		4403-00-106-02	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.भी.वाई.) एल.आर.एस. पर जी.एम.पी. मानक प्रयोगशाला की स्थापना	840.00	840.00	100
9		4403-00-106-03	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.भी.वाई.) फ्रोजेन सीमेन बुल स्टेशन	200.00	200.00	100
10	8- परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	5053-02-796-05	विभिन्न जिलों के मुख्यालयों हेतु रनवे का निर्माण एवं विस्तार	2000.00	2000.00	100
11	9- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	2425-00-107-62	एपेक्स एवं अन्य सहकारी समितियों को अनुदान	336.00	336.00	100
12		2425-00-789-62	एपेक्स एवं अन्य सहकारी समितियों को अनुदान	224.00	224.00	100
13		2425-00-796-28	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत किसानों की विभिन्न फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु राष्ट्रीय कृषि बीमा निधि में अनुदान	50.00	50.00	100
14		2425-00-796-69	परामर्शी शुल्क एवं विविध प्राप्ति हेतु अनुदान	100.00	100.00	100

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
15	10- ऊर्जा विभाग	2801-01-789-10	ग्रामीण विद्युतीकरण	120.00	120.00	100
16		2801-01-789-12	आर.जी.जी.भी.वाई. योजना के अन्तर्गत वन क्लीयरेन्स	60.00	60.00	100
17		2801-01-796-10	ग्रामीण विद्युतीकरण	260.00	260.00	100
18		2801-01-796-12	आर.जी.जी.भी.वाई योजना के अन्तर्गत वन क्लीयरेन्स	130.00	130.00	100
19		2801-01-800-10	ग्रामीण विद्युतीकरण	620.00	620.00	100
20		2801-01-800-12	आर.जी.जी.भी.वाई योजना के अन्तर्गत वन क्लीयरेन्स	310.00	310.00	100
21		2801-06-789-03	समेकित ऊर्जा विकास योजना	360.00	360.00	100
22		2801-06-796-03	समेकित ऊर्जा विकास योजना	780.00	780.00	100
23		2801-06-800-03	समेकित ऊर्जा विकास योजना	1860.00	1860.00	100
24		2801-80-796-10	जे.एस.ई.आर.सी. को नई भवन निर्माण हेतु सहायता अनुदान	500.00	500.00	100
25	12- योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	2054-00-003-01	प्रमण्डलीय मुख्यालयों में लेखा प्रशिक्षण विद्यालय	62.25	62.25	100
26	13- ब्याज संदाय	2049-60-701-01	अन्तरिम भुगतान	100.00	100.00	100
27	17- वाणिज्य कर विभाग	2040-00-796-15	व्यापार इंटेलिजेंस इकाई की स्थापना	400.00	400.00	100
28	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3456-00-796-41	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम शिकायत निवारण	140.00	140.00	100
29	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	2406-01-101-46	इको-टूरिज्म	700.00	700.00	100
30		2406-01-110-49	ग्रीन भारत मिशन	500.00	500.00	100
31		2406-01-110-51	राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम	1605.00	1605.00	100
32		2406-01-789-51	राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम	695.00	695.00	100
33		2406-02-110-22	वन्य प्राणी पर्यावास हेतु समेकित विकास योजना	200.00	200.00	100
34		2406-04-101-01	पशुधन के विकास एवं इकोलॉजिकल सुरक्षा हेतु जे.आइ.सी.ए.-ओ.डी.ए. संपोषित	500.00	500.00	100

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
35	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-001-37	राज्य स्तरीय आई.ई.सी./बी.सी.सी. ब्यूरो की स्थापना एवं विकास	300.00	300.00	100
36		2210-01-001-41	नई चालू योजनाओं हेतु राज्यांश	200.00	200.00	100
37		2210-01-110-36	रिम्स में जेनेटिक विंग्स की स्थापना एवं विकास	300.00	300.00	100
38		2210-01-200-46	पुराने भवनों का जीर्णोद्धार, मरम्मती, परिवर्द्धन, अतिरिक्त शौचालय, लैंड स्केपिंग जलापूर्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन, पार्किंग स्थान इत्यादि	1000.00	1000.00	100
39		2210-01-796-46	पुराने भवनों का जीर्णोद्धार, मरम्मती, परिवर्द्धन, अतिरिक्त शौचालय, लैंड स्केपिंग जलापूर्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन, पार्किंग स्थान इत्यादि	2000.00	2000.00	100
40		2210-02-200-21	जिला संयुक्त औषधालय	420.00	420.00	100
41		2210-02-200-22	पंचकर्म की स्थापना	264.00	264.00	100
42		2210-02-200-25	राष्ट्रीय मिशन- आयुष प्रक्षेत्र	125.00	125.00	100
43		2210-02-796-19	राजकीय आयुर्वेदिक फार्मसी महाविद्यालय, चाईबासा	150.00	150.00	100
44		2210-05-101-17	राष्ट्रीय मिशन- आयुष प्रक्षेत्र	475.00	475.00	100
45		2210-05-101-17	राष्ट्रीय मिशन- आयुष प्रक्षेत्र	200.00	200.00	100
46		2210-05-105-16	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अंतर्गत मानव संसाधन	1800.00	1800.00	100
47		2210-05-105-21	हजारीबाग, पलामू एवं दुमका में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल	3700.00	3700.00	100
48		2210-06-001-18	ब्लड बैंक का स्वचालन	212.00	212.00	100
49		2230-01-103-42	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	3300.00	3300.00	100
50		2230-01-789-42	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	1400.00	1400.00	100
51		2230-01-796-42	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	3300.00	3300.00	100
52		4210-01-110-17	भवन निर्माण/मशीन, उपकरण एवं उपस्कर सहित औषधालय (यक्ष्मा)-संचारी रोग केंद्र, इटकी	90.00	90.00	100
53		4210-01-110-25	चाईबासा एवं राँची में निजी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु प्रोत्साहन	100.00	100.00	100

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता	
54	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	4210-01-110-28	जिला अस्पतालों में आई.सी.यू. की स्थापना	250.00	250.00	100	
55		4210-01-789-26	जिला अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में डायलिसिस केंद्र की स्थापना	500.00	500.00	100	
56		4210-02-103-07	भवन-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना-मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र हेतु भवन निर्माण/जीर्णोद्धार	500.00	500.00	100	
57		4210-02-110-26	रेफरल अस्पताल का भवन निर्माण	100.00	100.00	100	
58		4210-02-110-63	आयुष निदेशालय, चिकित्सा परिषद औषधि नियंत्रक कार्यालय	60.67	60.67	100	
59		4210-02-796-29	सदर अस्पताल, राँची का 500 शय्या वाले अस्पताल के रूप में उत्क्रमण	600.00	600.00	100	
60		4210-02-796-56	राँची में झारखंड राज्य कैंसर अस्पताल एवं शोध केंद्र	500.00	500.00	100	
61		4210-03-105-07	पी.एम.सी.एच., धनबाद एवं एम.जी.एम.सी.एच., जमशेदपुर में पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना	400.00	400.00	100	
62		21- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	2202-03-102-23	नीलांबर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू का परिसर विकास	500.00	500.00	100
63			2202-03-102-27	नीलांबर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू हेतु सम्मुन्नत विज्ञान एवं तकनीकी शोध केंद्र की स्थापना	100.00	100.00	100
64	2202-03-102-62		राँची विश्वविद्यालय, राँची-यू.जी.सी. बकाया वेतन	5994.00	5994.00	100	
65	2202-03-102-63		विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग- यू.जी.सी. बकाया वेतन	2637.58	2637.58	100	
66	2202-03-102-64		सिद्ध कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, पलामू- यू.जी.सी. बकाया वेतन	789.45	789.45	100	
67	2202-03-102-65		नीलांबर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू- यू.जी.सी. बकाया वेतन	522.25	522.25	100	
68	2202-03-102-66		कोलहान विश्वविद्यालय, चाईबासा - यू.जी.सी. बकाया वेतन	1668.15	1668.15	100	
69	2202-03-102-67		राँची विश्वविद्यालय, राँची-यू.जी.सी. बकाया वेतन	1572.30	1572.30	100	
70	2202-03-102-68		विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग-यू जी सी बकाया वेतन	659.39	659.39	100	
71	2202-03-102-69		सिद्ध कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, पलामू-यू जी सी बकाया वेतन	197.37	197.37	100	

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता	
72	21- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	2202-03-102-70	नीलांबर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू-यू जी सी बकाया वेतन	130.56	130.56	100	
73		2202-03-102-71	कोलहान विश्वविद्यालय, चाईबासा - यू जी सी बकाया वेतन	417.00	417.00	100	
74		2202-03-102-80	राज्य के प्रत्येक जिलों में महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु नीलांबर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू को सहायता अनुदान	300.00	300.00	100	
75		2202-03-102-82	विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग - 15.11.2000 के पूर्व का बकाया	95.00	95.00	100	
76		2202-03-796-36	सिद्ध कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका के परिसर विकास हेतु सहायता अनुदान	500.00	500.00	100	
77		2202-03-796-41	सम्मून्नत विज्ञान एवं तकनीकी शोध केंद्र की स्थापना हेतु सिद्ध कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका को अनुदान	100.00	100.00	100	
78		2202-03-796-55	मॉडल महाविद्यालय की स्थापना हेतु राँची विश्वविद्यालय, राँची को सहायता अनुदान	500.00	500.00	100	
79		2202-03-796-56	मॉडल महाविद्यालय की स्थापना हेतु कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा को सहायता अनुदान	500.00	500.00	100	
80		22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	4055-00-796-74	अभियोजन निदेशालय/कार्यालय का निर्माण/सुदृढीकरण	170.00	170.00	100
81			4070-00-796-63	केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र, नागरिक सुरक्षा	290.95	290.95	100
82	4070-00-800-62		नागरिक सुरक्षा का सुदृढीकरण.	143.00	143.00	100	
83	4070-00800-65		अग्निशमन का सुदृढीकरण	200.00	200.00	100	
84	4070-00-800-65		अग्निशमन का सुदृढीकरण	301.67	301.67	100	
85	23- उद्योग विभाग	2851-00-102-61	लघु उद्योगों हेतु कलस्टर विकास	220.00	220.00	100	
86		2851-00-107-16	रेशम विकास की योजना-केन्द्रीय परियोजना के अन्तर्गत मैचिंग ग्रांट	2400.00	2400.00	100	
87		2851-00-789-02	बाँस शिल्पी प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्रों की स्थापना	200.00	200.00	100	
88		2852-80-102-07	एसआईड योजना-सहायता अनुदान	900.00	900.00	100	
89		2852-80-102-10	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार	500.00	500.00	100	
90		2852-80-102-66	खाद्य प्रसंस्करण राष्ट्रीय मिशन हेतु सहायता अनुदान	700.00	700.00	100	

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
91	23- उद्योग विभाग	2852-80-102-67	औद्योगिक गलियारे हेतु सहायता अनुदान	700.00	700.00	100
92		2852-80-102-68	विशेष आर्थिक क्षेत्र	50.00	50.00	100
93		2852-80-796-63	समेकित आधारभूत उन्नयन योजना हेतु सहायता अनुदान	400.00	400.00	100
94	26- श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	2230-01-789-09	प्रवासी मजदूरों का सर्वेक्षण	100.00	100.00	100
95		2230-01-789-10	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	1400.00	1400.00	100
96		2230-01-796-10	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	3300.00	3300.00	100
97		2230-03-003-47	पी पी पी के अंतर्गत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु भायेबिलिटी गैप फंडिंग योजना	140.00	140.00	100
98		2230-03-003-51	कौशल विकास प्रोत्साहन योजना	2000.00	2000.00	100
99		2230-03-796-47	पी पी पी के अंतर्गत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु भायेबिलिटी गैप फंडिंग योजना	220.00	220.00	100
100		2230-03-796-51	कौशल विकास प्रोत्साहन योजना	3000.00	3000.00	100
101		2235-03-101-07	आदिम जनजातीय समूह हेतु पेंशन योजना	2340.00	2340.00	100
102		4250-00-203-02	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 20 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का भवन निर्माण	1500.00	1500.00	100
103		4250-00-203-04	उग्रवाद प्रभावित जिलों में युवाओं हेतु कौशल विकास की योजना	1000.00	1000.00	100
104		4250-00-796-02	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 20 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का भवन निर्माण	700.00	700.00	100
105		4250-00-796-04	उग्रवाद प्रभावित जिलों में युवाओं हेतु कौशल विकास की योजना	1000.00	1000.00	100
106		4250-00-796-08	कार्यरत सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मॉडल आई टी आई के रूप में उन्नयन	1000.00	1000.00	100
107	29- खनन एवं भू-तत्व विभाग	4853-02-004-01	खनन स्थापना-मुख्य निर्माण कार्य	400.00	400.00	100
108		4853-02-004-03	भूतात्विक अन्वेषण इकाई का जीर्णोद्धार/सुदृढीकरण	150.00	150.00	100
109		4853-02-800-04	चेकपोस्ट का निर्माण	50.00	50.00	100
110	30- कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	4225-80-277-13	अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को सहायता	200.00	200.00	100

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
111	33- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग)	2070-00-003-02	उप दंडाधिकारी का प्रशिक्षण	96.74	96.74	100
112	35- योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	2053-00-796-31	कौशल विकास मिशन	3000.00	3000.00	100
113		2053-00-796-33	डी.एच.डी.आर./एस.एच.डी. आर एवं अन्य के विकास और सांख्यिकी से संबन्धित प्रतिवेदन की तैयारी तथा प्रकाशन	200.00	200.00	100
114		2053-00-796-36	नए वाहनों का क्रय	50.00	50.00	100
115		2053-00-796-37	पी.पी.पी. (भायेबिलिटी गैप फंडिंग)	3000.00	3000.00	100
116		2053-00-796-38	मूल्यांकन/परामर्शी/अन्य संविदा सेवा	200.00	200.00	100
117		2235-02-102-01	मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाइली योजना	5000.00	5000.00	100
118		2235-02-796-01	मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाइली योजना	5000.00	5000.00	100
119		3454-02-204-16	झारखंड राज्य नीतिगत सांख्यिकी योजना	117.69	117.69	100
120		3454-02-796-16	झारखंड राज्य नीतिगत सांख्यिकी योजना	915.66	915.66	100
121		36- पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	4215-01-106-07	ग्रामीण स्वच्छता	647.00	647.00
122	39- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	2245-01-101-01	निःसहायों एवं विकलांगों को नगद राहत	1300.00	1300.00	100
123		2245-01-101-02	खाद्यान्न की आपूर्ति	3000.00	3000.00	100
124		2245-01-101-08	खाद्यान्न की आपूर्ति हेतु राज्य सहायता	714.00	714.00	100
125		2245-01-101-09	अन्य कार्यों हेतु राज्य सहायता	200.00	200.00	100
126		2245-01-104-01	चारा की आपूर्ति	200.00	200.00	100
127		2245-01-282-01	दवाओं की आपूर्ति	1450.00	1450.00	100
128		2245-02-101-01	निःसहायों एवं विकलांगों को नगद राहत	50.00	50.00	100
129		2245-02-101-02	खाद्यान्न की आपूर्ति	100.00	100.00	100
130		2245-02-101-06	अन्य राज्यों के आपदा पीड़ितों को सहायता	500.00	500.00	100
131		2245-02-105-01	मवेशी हेतु औषधियाँ	50.00	50.00	100
132		2245-02-282-01	मानव हेतु औषधियों की आपूर्ति	100.00	100.00	100
133		2245-80-102-02	संचार उपकरणों सहित आवश्यक खोज, बचाव एवं निष्कासन संबंधी उपकरणों की उपलब्धि	100.00	100.00	100

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
134	39- गृह, कारा एवं आपदा	2245-80-102-09	विभिन्न संवर्गों से लिए गए राज्य अधिकारियों के कोर बहूविषयी समूहों का प्रशिक्षण	57.00	57.00	100
135	प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	2245-80-102-12	भू-धसान से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता अनुदान	100.00	100.00	100
136		2245-80-102-14	अंतरराज्यीय आपदा हेतु राहत कैंपों की व्यवस्था	50.00	50.00	100
137	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	2029-00-103-01	भू-अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण	1526.00	1526.00	100
138		2029-00-796-04	राजस्व प्रशासन का सुदृढीकरण तथा भू-अभिलेखों का अद्यतिकरण	2640.00	2640.00	100
139		3454-01-001-01	कृषि गणना	58.00	58.00	100
140	42- ग्रामीण विकास विभाग	2501-02-101-01	सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	7938.00	7938.00	100
141	(ग्रामीण विकास प्रभाग)	2501-02-789-01	सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	2430.00	2430.00	100
142		2515-00-789-46	प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना	1000.00	1000.00	100
143		2515-00-796-40	पोस्ट स्टेज-2 ब्लॉक	100.00	100.00	100
144	45- सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेन्स विभाग	2203-00-001-10	राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता)	7500.00	7500.00	100
145		2203-00-001-65	आई.टी. पार्क की स्थापना	50.00	50.00	100
146		2203-00-001-68	आई.टी. पार्क की स्थापना	50.00	50.00	100
147		2203-00-001-86	सॉफ्टवेयर पार्क हेतु सहायता अनुदान	100.00	100.00	100
148		2203-00-001-89	ई-कार्यालय	80.00	80.00	100
149		2203-00-001-A0	आई.टी. के निर्माण हेतु परामर्श शुल्क	50.00	50.00	100
150		2203-00-789-85	कौशल विकास (युवा हेतु कार्यक्रम)	100.00	100.00	100
151		2203-00-796-01	जिलों में कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना	300.00	300.00	100
152		4202-02-105-69	आई.आई.आई.टी. का निर्माण	250.00	250.00	100
153		4202-02-105-73	आई.टी. भवन का निर्माण	450.00	450.00	100
154		4202-02-105-74	आई.टी. पार्क का निर्माण	400.00	400.00	100
155		47- परिवहन विभाग	3075-60-796-04	रेल परियोजनाओं हेतु विशेष परियोजन वाहन	60.00	60.00
156	(परिवहन प्रभाग)	5055-00-796-02	परिवहन निदेशालय का सुदृढीकरण-भवनों का निर्माण	120.00	120.00	100
157		5055-00-796-19	मोटर प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	50.00	50.00	100
158	48- नगर विकास एवं आवास विभाग	2215-01-789-01	पेयजल जलापूर्ति हेतु शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान	1000.00	1000.00	100
159	(नगर विकास प्रभाग)	2215-02-789-11	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना हेतु शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान	240.00	240.00	100

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
160	48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2215-02-789-12	सिवरेज एवं ड्रेनेज हेतु शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान	700.00	700.00	100
161		2217-80-191-59	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हेतु सहायता अनुदान	550.00	550.00	100
162		2217-80-191-60	एम.ओ.ई.एफ., भारत सरकार-एन.आर.सी.पी. द्वारा प्रायोजित योजना हेतु सहायता अनुदान	1260.00	1260.00	100
163		2217-80-191-62	एम.ओ.ई.एफ., भारत सरकार-एन.आर.सी.पी. द्वारा प्रायोजित योजना हेतु सहायता अनुदान	2440.00	2440.00	100
164		2217-80-191-65	झारखंड शहरी विकास निधि हेतु सहायता अनुदान	500.00	500.00	100
165		2217-80-191-67	ई.ए.पी. राँची सीवरेज ड्रेनेज एवं इनर सर्कुलर रोड योजना हेतु सहायता अनुदान	500.00	500.00	100
166		2217-80-191-70	स्मार्ट शहर	200.00	200.00	100
167		2217-80-191-74	केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत शहरी योजना एवं परियोजना प्रबंधन हेतु सहायता अनुदान	80.00	80.00	100
168		2217-80-191-75	स्मार्ट शहर	600.00	600.00	100
169		2217-80-191-80	पी.पी.पी. परियोजना को राज्यांश	300.00	300.00	100
170		2217-80-789-35	कौशल विकास एवं कैपिसिटी भवन हेतु सहायता अनुदान	50.00	50.00	100
171		2217-80-789-59	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हेतु सहायता अनुदान	200.00	200.00	100
172		2217-80-789-60	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हेतु सहायता अनुदान	600.00	600.00	100
173		2217-80-789-63	राजीव आवास योजना हेतु सहायता अनुदान	1000.00	1000.00	100
174		2217-80-789-78	जे.एन.एन.यू.आर.एम. परियोजनाओं का पूर्ण होना	100.00	100.00	100
175		2217-80-796-59	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हेतु सहायता अनुदान	750.00	750.00	100
176	2217-80-796-61	एम.ओ.ई.एफ., भारत सरकार-एन.आर.सी.पी. (एन.एल.सी.पी. सहित) एवं एन.जी.आर.बी.ए. द्वारा प्रायोजित योजना हेतु सहायता अनुदान	3000.00	3000.00	100	

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता	
177	48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2217-80-796-62	एम.ओ.ई.एफ., भारत सरकार-एन.आर. सी.पी. (एन.एल.सी.पी. सहित) एवं एन.जी.आर.बी.ए. द्वारा प्रायोजित योजना हेतु सहायता अनुदान	7000.00	7000.00	100	
178		2217-80-796-63	राजीव आवास योजना हेतु सहायता अनुदान	1800.00	1800.00	100	
179		2217-80-796-67	ई.ए.पी. राँची सीवरेज ड्रेनेज एवं इनर सर्कुलर रोड योजना हेतु सहायता अनुदान	2000.00	2000.00	100	
180		2217-80-796-69	केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत शहरी योजना एवं परियोजना प्रबंधन हेतु सहायता अनुदान	60.00	60.00	100	
181		2217-80-796-70	स्मार्ट शहर	300.00	300.00	100	
182		2217-80-796-74	केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत शहरी योजना एवं परियोजना प्रबंधन हेतु सहायता अनुदान	120.00	120.00	100	
183		2217-80-796-77	जे.एन.एन.यू.आर.एम. (राँची सिवरेज एवं सी.सी.बी.पी.) के अंतर्गत चालू योजना	13100.00	13100.00	100	
184		2217-80-796-80	पी.पी.पी. परियोजना को राज्यान्श	700.00	700.00	100	
185		49- जल संसाधन विभाग	2711-01-001-01	गंगा नदी के दाये तट पर बाढ़ के दौरान मरम्मत कार्य	100.00	100.00	100
186			4700-80-800-12	ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम	100.00	100.00	100
187	4701-80-789-72		मध्यम सिंचाई परियोजना ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत चालू योजना का निर्माण	100.00	100.00	100	
188	4701-80-796-12		बाँध सुरक्षा एवं हाईड्रोलोजी परियोजना -2	50.00	50.00	100	
189	4701-80-796-14		झारखंड सिंचाई आयोग का गठन	100.00	100.00	100	
190	4701-80-796-39		वाल्मी एवं सिंचाई भवन का निर्माण	150.00	150.00	100	
191	4701-80-796-72		मध्यम सिंचाई परियोजना ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत चालू योजना का निर्माण	275.00	275.00	100	
192	4701-80-800-65		छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नयी योजना का निर्माण	155.00	155.00	100	
193	50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)		4702-00-101-07	जल निकाय का पुनर्स्थापना कार्य	100.00	100.00	100
194		4702-00-101-36	भूमि जल सिंचाई योजना	100.00	100.00	100	

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
195	50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	4702-00-789-18	चालू लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण	50.00	50.00	100
196		4702-00-789-19	नई लघु सिंचाई योजना का निर्माण	50.00	50.00	100
197		4702-00-789-20	पुराने लघु सिंचाई योजना का रख-रखाव एवं पुनर्स्थापना	250.00	250.00	100
198		4702-00-789-28	नई लघु सिंचाई योजना का निर्माण	66.00	66.00	100
199		4702-00-789-35	ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम	300.00	300.00	100
200		4702-00-796-07	जल निकाय का पुनर्स्थापना कार्य	100.00	100.00	100
201		4702-00-796-36	भूमि जल सिंचाई योजना	200.00	200.00	100
202	51- कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	2225-02-796-89	लाह एवं लघु वन हेतु विपणन एवं विकास कार्यक्रम	3000.00	3000.00	100
203		2225-03-796-07	पिछड़ा वर्ग विकास निगम	50.00	50.00	100
204	52- पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	2204-00-104-32	खेल संघ को अनुदान	120.00	120.00	100
205		2204-00-789-32	खेल संघ को अनुदान	80.00	80.00	100
206		2204-00-796-32	खेल संघ को अनुदान	300.00	300.00	100
207		2205-00-796-37	रवीन्द्र भवन की स्थापना एवं कार्यशाला का आयोजन	475.00	475.00	100
208		4202-04-101-01	सांस्कृतिक भवन का निर्माण	70.00	70.00	100
209	53- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	2405-00-101-46	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्ट्रीम-1	160.00	160.00	100
210		2405-00-796-46	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्ट्रीम-1	110.00	110.00	100
211		4405-00-101-58	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आर.के.वी.वाई.	200.00	200.00	100
212		4405-00-796-63	मत्स्य अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना	125.00	125.00	100
213	54- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	2404-00-102-36	दुधारू मवेशी वितरण	1072.85	1072.85	100
214		2404-00-102-37	नस्ल सुधार एवं उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रम	65.00	65.00	100
215		2404-00-102-38	प्रोटीन सप्लीमेंट्स राष्ट्रीय मिशन योजना	100.00	100.00	100
216		2404-00-102-41	बीज संग्रहण एवं वितरण कार्यक्रम	180.00	180.00	100
217		2404-00-102-46	गैर-वन बंजर भूमि/घास भूमि में चारा उत्पादन	60.00	60.00	100
218		2404-00-102-47	एजोला उत्पादन एवं प्रदर्शन इकाई हेतु मानव संसाधन विकास	60.00	60.00	100
219		2404-00-102-49	चारा निर्माण इकाई	50.00	50.00	100
220		2404-00-102-51	बाईपास प्रोटीन निर्माण इकाई की स्थापना	200.00	200.00	100

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
221	54- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	2404-00-102-52	फीड जॉच प्रयोगशाला की स्थापना/आधुनिकीकरण	200.00	200.00	100
222		2404-00-102-60	डेयरी विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	300.00	300.00	100
223		2404-00-102-61	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	200.00	200.00	100
224		2404-00-789-36	दुधारू मवेशी वितरण	263.95	263.95	100
225		2404-00-789-38	प्रोटीन सप्लीमेंट्स राष्ट्रीय मिशन योजना	130.00	130.00	100
226		2404-00-796-36	दुधारू मवेशी वितरण	494.70	494.70	100
227		2404-00-796-38	प्रोटीन सप्लीमेंट्स राष्ट्रीय मिशन योजना	170.00	170.00	100
228		2404-00-796-61	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	100.00	100.00	100
229	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	2515-00-001-35	न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- पी.आई.यू. का सुदृढीकरण	250.00	250.00	100
230		2515-00-796-35	न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- पी.आई.यू. का सुदृढीकरण	250.00	250.00	100
231		4515-00-103-14	न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत डी.पी.आर. का निर्माण	250.00	250.00	100
232		4515-00-103-15	न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत संपर्क पथ हेतु भूमि का अधिग्रहण	50.00	50.00	100
233		4515-00-103-20	जे.एस.आर.आर.डी.ए. का सुदृढीकरण	100.00	100.00	100
234		4515-00-789-36	न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम-परामर्शी सेवा	100.00	100.00	100
235		4515-00-796-15	न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत संपर्क पथ हेतु भूमि का अधिग्रहण	50.00	50.00	100
236	56- ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2515-00-001-15	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष	25505.00	25505.00	100
237		2515-00-001-38	वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	17000.00	17000.00	100
238		2515-00-789-15	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष	5590.00	5590.00	100
239		2515-00-789-38	वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	8500.00	8500.00	100
240		2515-00-796-15	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष	15805.00	15805.00	100
241		2515-00-796-38	वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	25500.00	25500.00	100
242	57- नगर विकास एवं आवास विभाग (आवास प्रभाग)	2216-02-796-08	पी.एम.यू. एवं परामर्शी हेतु सहायता अनुदान	150.00	150.00	100
243		2216-02-796-09	झारखंड राज्य आवास बोर्ड हेतु भवन निर्माण	250.00	250.00	100
244		2216-03-789-01	सिद्ध-कान्हू आवास योजना हेतु सहायता अनुदान	100.00	100.00	100

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
245	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	2202-02-109-36	सी.एस.पी.एस. के अंतर्गत मॉडल विद्यालय की स्थापना	2000.00	2000.00	100
246		2202-02-789-24	सामान्य वर्ग के छात्राओं (वर्ग 8) के बीच निःशुल्क साईकिल वितरण	136.00	136.00	100
247		2202-02-789-36	सी.एस.पी.एस. के अंतर्गत मॉडल विद्यालय की स्थापना	680.00	680.00	100
248		2202-02-796-36	सी.एस.पी.एस. के अंतर्गत मॉडल विद्यालय की स्थापना	1320.00	1320.00	100
249		2202-02-796-45	सी.एस.पी.एस. के अंतर्गत बालिका छात्रावास का निर्माण	2929.90	2929.90	100
250		2202-05-796-05	एस.पी.क्यू.ई.एम. योजना के अंतर्गत मदरसा को प्राप्त अनुदान	418.71	418.71	100
251	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	2235-02-102-94	मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र	78.00	78.00	100
252		2235-02-103-71	जीवन आशा	182.00	182.00	100
253		2235-02-103-81	महिला एवं किशोरी बालिकाओं हेतु कौशल विकास कार्यक्रम	410.00	410.00	100
254		2235-02-106-96	आई.सी.डी.एस. (सुदृढीकरण एवं पुनर्निर्माण)	8060.00	8060.00	100
255		2235-02-789-81	महिला एवं किशोरी बालिकाओं हेतु कौशल विकास कार्यक्रम	110.00	110.00	100
256		2235-02-796-67	किशोरी बालिकाओं तथा धाई केएस एंटी ट्रैफिकिंग से बचाव हेतु पुनर्वास केंद्र की स्थापना	50.00	50.00	100
257		2235-02-796-71	जीवन आशा	213.00	213.00	100
258		2235-02-796-81	महिला एवं किशोरी बालिकाओं हेतु कौशल विकास कार्यक्रम	480.00	480.00	100
259		2235-02-796-92	नारी उत्थान कोष	96.00	96.00	100
260		2235-02-796-94	मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र	91.00	91.00	100
261		2235-02-796-96	आई.सी.डी.एस. (सुदृढीकरण एवं पुनर्निर्माण)	8731.00	8731.00	100
262		4235-02-102-72	प्रतिप्रेक्षण (बाल सुधार) गृह का निर्माण	96.00	96.00	100
263		4235-02-796-72	प्रतिप्रेक्षण (बाल सुधार) गृह का निर्माण	104.00	104.00	100
कुल				306697.79	306697.79	100

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

परिशिष्ट 2.9
वर्ष के अंत में व्यय का वेग
(संदर्भ: कंडिका 2.5; पृष्ठ 56)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	शीर्ष	जनवरी से मार्च 2016 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2016 में किया गया व्यय	कुल व्यय	के दौरान कुल व्यय की प्रतिशतता	
						जनवरी से मार्च 2016	मार्च 2016
1	परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	5053	100.00	69.18	100.00	100.00	69.18
2	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	4235	85.59	83.73	88.80	96.38	94.29
3	पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)	3452	26.24	13.89	32.46	80.84	42.80
4	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	4402	28.24	11.10	34.96	80.76	31.74
5	पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	2204	26.90	22.85	36.25	74.23	63.05
6	कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	4225	173.19	125.18	234.38	73.89	53.41
7	नगर विकास एवं आवास विभाग (आवास प्रभाग)	2216	27.65	23.41	38.47	71.86	60.86
8	जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	4702	33.59	23.61	47.57	70.61	49.63
9	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	2404	127.05	70.75	180.01	70.58	39.30
10	नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2217	934.85	746.81	1351.58	69.17	55.25
11	जल संसाधन विभाग	4701	163.87	77.94	254.59	64.36	30.61
12	जल संसाधन विभाग	4700	502.83	182.46	803.97	62.54	22.69
13	सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेन्स विभाग	2203	112.97	49.99	183.97	61.41	27.17
14	पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	4215	117.68	66.66	193.07	60.95	34.52
15	भवन निर्माण विभाग	4059	199.09	79.49	328.21	60.66	24.22
16	ऊर्जा विभाग	2810	48.00	48.00	80.00	60.00	60.00
17	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401	261.09	172.41	449.76	58.05	38.33
18	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	4055	120.42	99.79	209.63	57.44	47.60
19	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग)	4202	57.71	22.38	103.38	55.82	21.65
20	ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2501	159.71	84.44	291.12	54.86	29.01
21	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3456	411.47	207.36	774.11	53.15	26.79
22	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	2425	56.75	12.45	108.92	52.10	11.43
23	श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	2230	58.39	16.74	112.83	51.75	14.84
24	पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	2515	1026.77	480.22	2051.74	50.04	23.41
कुल			4860.05	2790.84	8089.78	60.08	34.50

परिशिष्ट 2.10

नियंत्रक अधिकारियों की सूची जहाँ वर्ष 2015-16 के दौरान व्यय असंशोधित रह गया
(प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक की राशि)

(संदर्भ: कडिका 2.6; पृष्ठ 57)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	नियंत्रक अधिकारी/विभाग	असंशोधित राशि
1	सचिव, विधि विभाग, झारखण्ड, राँची	108.83
2	चुनाव आयुक्त, चुनाव विभाग, झारखण्ड, राँची	43.53
3	वाणिज्यिक कर आयुक्त, झारखण्ड, राँची	38.71
4	सचिव, वित्त एवं राजस्व व भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची	2732.61
5	सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, झारखण्ड	277.68
6	अपर सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, सेक्शन-IV ग्रामीण पुलिस, झारखण्ड आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची	3057.72
7	महानिरीक्षक (कारा), गृह विभाग, झारखण्ड, राँची	65.59
8	उप सचिव, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग, राँची	6300.56
9	उप सचिव, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग, राँची	103.37
10	उप सचिव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, झारखण्ड, राँची	35.05
11	निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, झारखण्ड, राँची	1685.47
12	निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, झारखण्ड, राँची	339.90
13	अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची	72.98
14	सचिव, पी.एच.ई.डी. विभाग, झारखण्ड, राँची	980.20
15	सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची	1351.55
16	सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची	224.92
17	श्रम आयुक्त, झारखण्ड, राँची निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, झारखण्ड, राँची	74.81
18	संयुक्त सचिव, प्राकृतिक आपदा विभाग, झारखण्ड, राँची	522.11
19	सचिव, कृषि विभाग, झारखण्ड, राँची	398.17
20	सचिव, लघु सिंचाई विभाग, राँची	26.06
21	आयुक्त-सह-सचिव, 104-राजस्व विभाग	188.56
22	उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची	1829.83
23	निदेशक, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची	3742.59
24	सचिव, प्रशासन, वित्त विभाग, झारखण्ड	11.61
25	सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, राँची	76.92
26	सचिव, परिवहन एवं नागर विमानन-सह-राज्य आयुक्त, झारखण्ड	89.85
कुल		24379.18

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) का कार्यालय, झारखण्ड, राँची

परिशिष्ट 2.11

वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंतिम दिन अभ्यर्पण के ब्यौरे

(संदर्भ: कंडिका 2.7.7; पृष्ठ 60)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	शीर्ष	योजना/ गैर-योजना	अभ्यर्पण का पत्रांक	अभ्यर्पण का दिनांक	राशि
1	2217-80-192-05	गैर-योजना	1742	31/03/2016	1.98
2	2217-80-191-40	गैर-योजना	1744	31/03/2016	3.16
3	2215-02-192-06	गैर-योजना	1737	31/03/2016	10.00
4	2217-80-193-07	गैर-योजना	1753	31/03/2016	12.11
5	6217-60-193-02	गैर-योजना	1756	31/03/2016	16.15
6	2217-80-193-05	गैर-योजना	1743	31/03/2016	23.28
7	2217-80-001-05	गैर-योजना	1740	31/03/2016	40.00
8	2217-80-192-07	गैर-योजना	1752	31/03/2016	45.57
9	2217-80-001-04	गैर-योजना	1739	31/03/2016	54.41
10	2217-80-192-40	गैर-योजना	1745	31/03/2016	58.67
11	6217-60-192-03	गैर-योजना	1755	31/03/2016	60.62
12	2217-80-193-40	गैर-योजना	1746	31/03/2016	172.04
13	2217-80-192-82	गैर-योजना	1759	31/03/2016	538.07
14	2217-80-193-83	गैर-योजना	1760	31/03/2016	652.36
15	2215-02-192-06	गैर-योजना	250	29/04/2016	10.00
16	2217-80-001-01	गैर-योजना	250	29/04/2016	50.84
17	2217-80-001-02	गैर-योजना	250	29/04/2016	5.85
18	2217-80-001-03	गैर-योजना	250	29/04/2016	31.80
19	2217-80-001-04	गैर-योजना	250	29/04/2016	54.41
20	2217-80-001-05	गैर-योजना	250	29/04/2016	40.00
21	2217-80-191-40	गैर-योजना	250	29/04/2016	3.16
22	2217-80-192-05	गैर-योजना	250	29/04/2016	1.98
23	2217-80-192-07	गैर-योजना	250	29/04/2016	45.57
24	2217-80-192-40	गैर-योजना	250	29/04/2016	58.67
25	2217-80-192-82	गैर-योजना	250	29/04/2016	538.07
26	2217-80-193-05	गैर-योजना	250	29/04/2016	23.28
27	2217-80-193-07	गैर-योजना	250	29/04/2016	12.11
28	2217-80-193-40	गैर-योजना	250	29/04/2016	172.04
29	2217-80-193-83	गैर-योजना	250	29/04/2016	652.36
30	2251-00-090-05	गैर-योजना	250	29/04/2016	165.63
31	6217-60-192-03	गैर-योजना	250	29/04/2016	60.62
32	6217-60-193-02	गैर-योजना	250	29/04/2016	16.15
कुल					3630.96
1	2217-80-796-37	योजना	1785	31/03/2016	2.51
2	2217-80-789-37	योजना	1784	31/03/2016	14.98
3	2217-80-789-33	योजना	1774	31/03/2016	26.50
4	2217-80-789-33	योजना	1774	31/03/2016	26.50

क्र.सं.	शीर्ष	योजना/ गैर-योजना	अभ्यर्पण का पत्रांक	अभ्यर्पण का दिनांक	राशि
5	2217-80-789-34	योजना	1777	31/03/2016	31.74
6	2217-80-796-33	योजना	1775	31/03/2016	49.92
7	2217-80-789-35	योजना	1780	31/03/2016	50.00
8	2217-80-191-64	योजना	1827	31/03/2016	50.00
9	2217-80-191-63	योजना	1809	31/03/2016	55.68
10	2217-80-191-38	योजना	1786	31/03/2016	57.99
11	2217-80-796-89	योजना	1813	31/03/2016	68.66
12	2217-80-191-35	योजना	1779	31/03/2016	97.71
13	2217-80-796-63	योजना	1811	31/03/2016	100.00
14	2217-80-796-38	योजना	1787	31/03/2016	110.39
15	2217-80-191-34	योजना	1776	31/03/2016	130.38
16	2217-80-191-89	योजना	1812	31/03/2016	131.46
17	2217-80-191-89	योजना	1830	31/03/2016	135.37
18	2217-80-191-79	योजना	1795	31/03/2016	165.69
19	2217-80-796-64	योजना	1829	31/03/2016	182.18
20	2217-80-796-35	योजना	1781	31/03/2016	235.17
21	2217-80-191-71	योजना	1820	31/03/2016	302.02
22	2217-80-796-76	योजना	1840	31/03/2016	366.67
23	2217-80-191-33	योजना	1773	31/03/2016	483.40
24	2217-80-789-60	योजना	1823	31/03/2016	600.00
25	2217-80-191-75	योजना	1837	31/03/2016	600.00
26	2217-80-796-75	योजना	1838	31/03/2016	700.00
27	2217-80-796-89	योजना	1831	31/03/2016	737.31
28	2217-80-796-71	योजना	1821	31/03/2016	834.43
29	2217-80-191-60	योजना	1822	31/03/2016	991.89
30	2217-80-796-73	योजना	1836	31/03/2016	1085.00
31	2217-80-191-73	योजना	1835	31/03/2016	1400.00
32	2217-80-796-68	योजना	1817	31/03/2016	1691.74
33	2217-80-191-76	योजना	1839	31/03/2016	2086.67
34	2217-80-796-60	योजना	1824	31/03/2016	2178.55
35	2217-80-191-68	योजना	1816	31/03/2016	2353.27
36	2217-80-191-33	योजना	250	29/04/2016	483.40
37	2217-80-191-34	योजना	250	29/04/2016	130.38
38	2217-80-191-35	योजना	250	29/04/2016	97.71
39	2217-80-191-38	योजना	250	29/04/2016	57.99
40	2217-80-191-79	योजना	250	29/04/2016	165.69
41	2217-80-789-33	योजना	250	29/04/2016	26.50

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र.सं.	शीर्ष	योजना/ गैर-योजना	अभ्यर्पण का पत्रांक	अभ्यर्पण का दिनांक	राशि
42	2217-80-789-34	योजना	250	29/04/2016	31.74
43	2217-80-789-35	योजना	250	29/04/2016	50.00
44	2217-80-789-37	योजना	250	29/04/2016	14.98
45	2217-80-796-33	योजना	250	29/04/2016	49.92
46	2217-80-796-35	योजना	250	29/04/2016	235.17
47	2217-80-796-37	योजना	250	29/04/2016	2.51
48	2217-80-796-38	योजना	250	29/04/2016	110.39
49	2217-80-191-60	योजना	250	29/04/2016	991.89
50	2217-80-191-63	योजना	250	29/04/2016	55.68
51	2217-80-191-64	योजना	250	29/04/2016	50.00
52	2217-80-191-68	योजना	250	29/04/2016	2353.27
53	2217-80-191-71	योजना	250	29/04/2016	302.02
54	2217-80-191-73	योजना	250	29/04/2016	1400.00
55	2217-80-191-75	योजना	250	29/04/2016	600.00
56	2217-80-191-76	योजना	250	29/04/2016	2086.67
57	2217-80-789-60	योजना	250	29/04/2016	600.00
58	2217-80-796-60	योजना	250	29/04/2016	2178.55
59	2217-80-796-63	योजना	250	29/04/2016	100.00
60	2217-80-796-64	योजना	250	29/04/2016	182.18
61	2217-80-796-68	योजना	250	29/04/2016	1691.74
62	2217-80-796-71	योजना	250	29/04/2016	834.43
63	2217-80-796-73	योजना	250	29/04/2016	1085.00
64	2217-80-796-75	योजना	250	29/04/2016	700.00
65	2217-80-796-76	योजना	250	29/04/2016	366.67
कुल					35168.26
सकल योग					38799.22

*पत्र दिनांक 29/04/2016 द्वारा अभ्यर्पण दिनांक 31/03/2016 के प्रभाव से स्वीकार किये गये।

परिशिष्ट 2.12

व्यय का वेग

(संदर्भ: कंडिका 2.7.8; पृष्ठ 60)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	शीर्ष	आवंटन	मार्च 2016 में व्यय	कुल व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता
1	2217-80-191-63	4.32	4.32	4.32	100
2	2217-80-191-64	10.00	10.00	10.00	100
3	2217-80-191-26	10.51	10.51	10.51	100
4	2217-80-796-35	14.83	14.83	14.83	100
5	2217-80-796-64	17.82	17.82	17.82	100
6	2217-80-796-60	71.45	71.45	71.45	100
7	2217-80-796-75	200.00	200.00	200.00	100
8	2217-80-796-71	485.57	485.57	485.57	100
9	2217-80-191-72	500.00	500.00	500.00	100
10	2217-80-191-60	658.11	658.11	658.11	100
11	2217-80-191-71	757.98	757.98	757.98	100
12	6217-60-192-03	760.23	760.23	760.23	100
13	6217-60-191-03	1023.69	1023.69	1023.69	100
14	2217-80-796-89	1200.00	1131.34	1131.34	100
15	2217-80-796-55	1400.00	1400.00	1400.00	100
16	2217-80-191-89	1500.00	1430.67	1430.67	100
17	2217-80-796-89	3000.00	2262.69	2262.69	100
18	2217-80-191-89	2500.00	2364.63	2364.63	100
19	2215-02-796-12	2500.00	2500.00	2500.00	100
20	2217-80-796-72	2600.00	2600.00	2600.00	100
21	2217-80-796-78	4500.00	4500.00	4500.00	100
22	2217-80-191-56	4600.00	4600.00	4600.00	100
23	2217-80-796-34	5500.00	5500.00	5500.00	100
24	2217-80-191-79	7234.31	7234.31	7234.31	100
कुल				40038.15	
1	2217-80-191-37	592.01	573.31	592.01	96.84
2	2215-02-796-11	500.00	430.10	500.00	86.02
3	2217-80-789-37	95.02	80.25	95.02	84.46
4	2217-80-796-76	133.33	108.33	133.33	81.25
5	2217-80-193-05	16.14	12.96	16.14	80.30
6	2217-80-192-05	20.52	15.87	20.52	77.34
7	2215-01-191-01	4000.00	3081.89	4000.00	77.05
8	2217-80-796-38	1239.61	934.86	1239.61	75.42

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र.सं.	शीर्ष	आवंटन	मार्च 2016 में व्यय	कुल व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता
9	2217-80-191-76	358.33	258.33	358.33	72.09
10	2217-80-796-68	3368.26	2421.35	3368.26	71.89
11	2217-80-191-36	300.00	210.53	300.00	70.18
12	2215-02-191-11	400.00	279.85	400.00	69.96
13	2217-80-192-82	4626.33	3223.75	4626.33	69.68
14	2217-80-789-56	1770.00	1200.00	1770.00	67.80
15	2217-80-796-56	10992.00	7160.23	10992.00	65.14
16	2217-80-191-81	10734.78	6378.56	10511.82	60.68
कुल				38923.37	

परिशिष्ट 2.13

समस्त बजट प्रावधान का अभ्यर्षण

(संदर्भ: कंडिका 2.7.10; पृष्ठ 61)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष	आवंटन			
		मूल	पूरक	अभ्यर्षण	अंतिम
1	2215-01-789-01	10.00	0.00	10.00	0.00
2	2215-02-789-11	2.40	0.00	2.40	0.00
3	2215-02-789-12	7.00	0.00	7.00	0.00
4	2217-80-001-05	0.40	0.00	0.40	0.00
5	2217-80-191-59	5.50	0.00	5.50	0.00
6	2217-80-191-61	12.60	0.00	12.60	0.00
7	2217-80-191-62	24.40	0.00	24.40	0.00
8	2217-80-191-65	5.00	0.00	5.00	0.00
9	2217-80-191-67	5.00	0.00	5.00	0.00
10	2217-80-191-69	0.40	0.00	0.40	0.00
11	2217-80-191-70	2.00	0.00	2.00	0.00
12	2217-80-191-74	0.80	0.00	0.80	0.00
13	2217-80-191-75	6.00	0.00	6.00	0.00
14	2217-80-191-80	3.00	0.00	3.00	0.00
15	2217-80-789-35	0.50	0.00	0.50	0.00
16	2217-80-789-59	2.00	0.00	2.00	0.00
17	2217-80-789-60	6.00	0.00	6.00	0.00
18	2217-80-789-63	10.00	0.00	10.00	0.00
19	2217-80-789-64	10.00	0.00	10.00	0.00
20	2217-80-789-78	1.00	0.00	1.00	0.00
21	2217-80-796-59	7.50	0.00	7.50	0.00
22	2217-80-796-61	30.00	0.00	30.00	0.00
23	2217-80-796-62	70.00	0.00	70.00	0.00
24	2217-80-796-63	18.00	0.00	18.00	0.00
25	2217-80-796-67	20.00	0.00	20.00	0.00
26	2217-80-796-69	0.60	0.00	0.60	0.00
27	2217-80-796-70	3.00	0.00	3.00	0.00
28	2217-80-796-74	1.20	0.00	1.20	0.00
29	2217-80-796-77	131.00	0.00	131.00	0.00
30	2217-80-796-80	7.00	0.00	7.00	0.00
कुल		402.30	0.00	402.30	0.00

परिशिष्ट 3.1

31 मार्च 2016 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

(संदर्भ: कंडिका 3.1.1; पृष्ठ 64)

(₹ करोड़ में)

विभाग	2014-15 तक (2013-14 तक स्वीकृत सहायता अनुदान)		2015-16 के दौरान (2014-15 तक स्वीकृत सहायता अनुदान)		प्रतीक्षारत कुल उ.प्र.प.	
	मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि
उद्योग	38	46.41	93	119.48	131	165.89
शिक्षा	53	542.60	164	9320.30	217	9862.90
सहकारिता	123	147.09	3	9.00	126	156.09
पशुपालन	42	27.03	शून्य	शून्य	42	27.03
चिकित्सा	2	35.00	3	160.00	5	195.00
कल्याण	478	377.52	215	226.26	693	603.78
कृषि	34	74.32	11	85.34	45	159.66
भूमि राजस्व	1	0.21	शून्य	शून्य	1	0.21
शहरी विकास	3820	1503.41	950	897.57	4770	2400.98
अन्य	1115	2254.55	1237	6499.59	2352	8754.14
कुल	5706	5008.14	2676	17317.54	8382	22325.68

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) द्वारा रखे गये अभिलेखों के अनुसार।

परिशिष्ट 3.2

सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के अधीन चिन्हित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची
(संदर्भ: कंडिका 3.2.1; पृष्ठ 68)

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
1	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	बोकारो	2013-14
2	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	चतरा	2012-13
3	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	देवघर	2012-13
4	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	धनबाद	2013-14
5	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	दुमका	2011-12
6	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	पूर्वी सिंहभूम	2013-14
7	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	गढ़वा	2011-12
8	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	गिरिडीह	2013-14
9	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	गोड्डा	2012-13
10	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	गुमला	2011-12
11	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	हजारीबाग	2012-13
12	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	जामताड़ा	2012-13
13	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	खूँटी	2011-12
14	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	कोडरमा	2011-12
15	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	लातेहार	12/2012
16	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	लोहरदगा	3/2012
17	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	पाकुड़	2007-08
18	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	पलामू	2007-08
19	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	राँची	7/2005
20	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	रामगढ़	2011-12
21	स्वास्थ्य	झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य मिशन सोसाईटी, नामकुम	राँची	2010-11
22	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	सरायकेला खरसावाँ	9/2014
23	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति,	सिमडेगा	2013-14
24	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति,	पश्चिम सिंहभूम	2007-08
25	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति,	साहेबगंज	SI
26	शिक्षा	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची	राँची	2014-15
27	स्वास्थ्य	झारखण्ड एड्स नियंत्रण सोसाईटी, राँची	राँची	SI
28	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	बोकारो	2011-12
29	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	चतरा	12/2015
30	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	देवघर	2011-12
31	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	धनबाद	2012-13
32	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	दुमका	12/2015
33	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	जमशेदपुर	2014-15
34	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गढ़वा	2010-11
35	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गिरिडीह	2011-12
36	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गोड्डा	2011-12

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
37	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गुमला	2012-13
38	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	हजारीबाग	2012-13
39	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	कोडरमा	2010-11
40	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	लोहरदगा	2012-13
41	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पाकुड़	2011-12
42	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पलामू	09/2015
43	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	राँची	2014-15
44	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	साहेबगंज	03/2015
45	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	चाईबासा	2011-12
46	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	जामताड़ा	2010-11
47	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	सिमडेगा	2011-12
48	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	सरायकेला	12/2012
49	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	लातेहार	2004-05
50	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	रामगढ़	09/2010
51	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	खूँटी	शून्य
52	शिक्षा (विज्ञान एवं प्रावैधिकी)	बिरला तकनीकी संस्थान, मेसरा, राँची	राँची	02/2015
53	विमानन	नागर विमानन प्राधिकरण राँची	राँची	2012-13
54	सूचना प्रौद्योगिकी	झारखण्ड पदोन्नति अनुप्रयोग संस्थान (जेप-आई.टी.)	राँची	07/2014
55	सूचना प्रौद्योगिकी	झारखण्ड अंतरिक्ष विज्ञान केन्द्र, धुर्वा, राँची	राँची	2007-08
56	समाज कल्याण	झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राँची	राँची	2006-07
57	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, राँची	राँची	09/2014
58	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बोकारो	बोकारो	09/2015
59	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जमशेदपुर	जमशेदपुर	01/2016
60	वन	लाह प्रशोधन संयंत्र, लातेहार	लातेहार	2008-09
61	विज्ञान एवं प्रावैधिकी	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, झारखण्ड सरकार	राँची	2007-08
62	जैव प्रौद्योगिकी	वन में लाह की फसल की कृषि, डोरण्डा	राँची	2008-09
63	वन	वन राज्य व्यापार प्रभाग	1. लातेहार 2. गुमला 3. चाईबासा 4. हजारीबाग	1. 2009-10 2. 02/2013 3. 2011-12 4. 2008-09
64	पशुपालन	बेकन फैक्ट्री, काँके, राँची	राँची	2009-10
65	पशुपालन	क्षेत्रीय मुर्गीपालन केन्द्र, राँची	राँची	2008-09
66	विधि	उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, राँची	राँची	2008-09

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
67	सूचना और जन संपर्क	राजकीय प्रेस, राँची	राँची	2010-11
68	शिक्षा एवं शोध	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय	राँची	2006-07
69	वन	झारखण्ड जैविक विविधता परिषद, डोरण्डा, राँची	राँची	शून्य (नई इकाई)
70	उद्योग	मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, राँची	राँची	अभी जारी है
71	स्वास्थ्य	निदेशक, आर.के.मिशन, टी.बी. सेनेटोरियम, टुपुदाना	राँची	2004-05
72	शिक्षा	निदेशक, आर.के.मिशन आश्रम, मोराबादी, राँची	राँची	2007-08
73	शिक्षा	झारखण्ड महिला सामाख्या सोसाइटी, कडरू, राँची	राँची	2005-06
74	कला, संस्कृति एवं खेलकूद	राष्ट्रीय खेल संयोजक समिति, मोराबादी, राँची	राँची	2008-09

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय में रखे गये स्थायी लेखापरीक्षा कार्यक्रम पंजी

परिशिष्ट 3.3

राजस्व अनुभाग के अधीन मुख्य कार्य

(संदर्भ: कंडिका 3.5; पृष्ठ 73)

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप-शीर्ष	विवरण	विस्तृत शीर्ष	राशि
2040	00	101	02	जिला प्रभार	0545 मुख्य कार्य	0.52
2059	80	053	13	विद्युत कार्य के अन्तर्गत पूँजीगत रख-रखाव कार्य	0545 मुख्य कार्य	0.35
2059	80	001	11	निर्देश-पार्क रख-रखाव	0545 मुख्य कार्य	0.35
2515	00	001	28	गैर-पी.एम.जी.एस.वाइ. पथ हेतु अधीक्षण अभियंता (आर.ई.ओ.)	0545 मुख्य कार्य	0.01
3054	03	337	01	पथ निर्माण कार्य	0545 मुख्य कार्य	6.57
कुल						7.80

परिशिष्ट 3.4

लघु-शीर्ष 800-अन्य व्यय का संचालन (10 प्रतिशत एवं अधिक)

(संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 75)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल व्यय	लघु-शीर्ष-800 के अधीन व्यय	कालम 5 का कालम 4 से प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2401	फसल कृषि फर्म	449.67	50.33	11.24
2	2501	ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	291.14	60.86	20.90
3	2801	ऊर्जा	2124.44	406.96	19.16
4	4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	32.34	11.97	37.01
5	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1.19	1.09	91.60
6	4401	कृषि पालन पर पूँजीगत परिव्यय	8.16	1.00	12.25
7	4403	पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय	11.88	1.74	14.65
8	4701	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	254.58	144.32	56.69
9	6245	प्राकृतिक आपदाओं से राहत हेतु ऋण	0.08	0.08	100.00
10	7610	सरकार को ऋण	30.31	13.19	43.52
कुल			3203.79	691.54	21.59

परिशिष्ट 3.5

लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ (40 प्रतिशत एवं अधिक) का संचालन

(संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 75)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष-800 के अधीन प्राप्तियाँ	कालम 4 का कालम 5 से प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	0051	लोक सेवा आयोग	3.79	3.79	100.00
2.	0050	लाभांश एवं लाभ	0.47	0.47	100.00
3.	0801	ऊर्जा	3.56	3.56	100.00
4.	0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	4.39	4.39	100.00
5.	0058	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	0.01	0.01	100.00
6.	1053	नागर विमानन	10.11	10.11	100.00
7.	0404	डेयरी विकास	1.06	1.06	100.00
8.	0211	परिवार कल्याण	0.03	0.03	100.00
9.	0700	वृहत सिंचाई	19.27	19.27	100.00
10.	0701	मध्यम सिंचाई	42.01	42.01	100.00
11.	1456	सिविल आपूर्ति	18.91	18.91	100.00
12.	0075	विविध सामान्य सेवायें	8.89	8.87	99.78
13.	0406	वन एवं वन्य प्राणी	4.13	4.12	99.76
14.	0702	लघु सिंचाई	1.97	1.94	98.48
15.	0425	कॉ-आपरेशन	20.31	19.78	97.39
16.	0070	अन्य प्रशासनिक सेवायें	557.90	539.22	96.65
17.	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	43.60	39.73	91.12
18.	0401	फसल कृषि फर्म	33.55	30.13	89.81
19.	1054	सड़क एवं पुल	69.35	62.24	89.75
20.	0215	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	14.66	12.99	88.61
21.	0059	लोक निर्माण	3.88	3.28	84.54
22.	0235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	3.73	3.10	83.11
23.	0852	उद्योग	1.60	1.18	73.75
24.	0041	वाहन कर	632.59	387.87	61.31
25.	0210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	13.32	7.43	55.78
26.	0405	मत्स्य पालन	6.49	3.39	52.23
27.	0250	अन्य सामाजिक सेवायें	1.77	0.84	47.46
28.	0403	पशु पालन	4.32	1.97	45.60
29.	1452	पर्यटन	6.75	2.87	42.52
30.	0202	शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति	19.98	8.41	42.09
31.	0071	पेंशन हेतु अंशदान एवं पुनः अदायगी	3.39	1.40	41.30
कुल			1555.79	1244.37	79.98

परिशिष्ट 4.1

प्रतिवेदन में प्रयुक्त व्याख्यान शब्दावली (गणना के आधार) की सूची

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचल की वृद्धि दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य प्राचल (Y) के संबंध में प्राचल की उत्प्लावकता (X)	प्राचल की वृद्धि दर (X) प्राचल की वृद्धि दर (Y)
वृद्धि की दर (बृ.द.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/गत वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें+आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पूर्व वर्ष के राजकोषीय दायित्व की राशि+वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व/2)*100
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि-भारित ब्याज दर
क्वांटम विस्तार	ऋण स्टॉक का * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों की प्रतिशतता में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(आरंभिक शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंतशेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्रप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम-राजस्व प्राप्तियाँ विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियाँ घटाव 2048 ऋण के परिहार की कमी के लिए विनियोग के अन्तर्गत अभिलेखित व्यय को छोड़कर सभी योजनागत अनुदान तथा गैर योजना राजस्व व्यय
ऋण धारणीयता	किसी राज्य द्वारा ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को एक समयावधि तक स्थिर रखने की क्षमता को ऋण ग्राह्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है यह किसी संस्था के ऋण निष्पादन की क्षमता को भी निरूपित करती है। अतः चालू प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन हेतु तरल पर परिचरणी की प्रचुरता तथा अतिरिक्त देनदारियों की खरीद तथा उन देनदारियों से वापसी के मध्य संतुलन बनाये रखने की क्षमता को भी ऋण सहनशीलता कहा जा सकता है। इसका मतलब है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण निष्पादन की क्षमता में वृद्धि से मेल खाता है।
ऋण स्थिरीकरण	ऋण स्थिरता का अनिवार्य शर्त है कि यदि अर्थ व्यवस्था का वृद्धि पर ब्याज दर या लोक ऋण लोक उधार से अधिक हो इससे, ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर हो सकता है बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य हो घनात्मक हो या औसत रूप ऋणात्मक हो। दिया गया है कि दर विस्तार (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर-ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण गुण दर विस्तार) ऋण स्थिरीकरण के शर्त के अनुसार अगर मात्रा विस्तार प्राथमिक विस्तार शून्य हो तो ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर होगा या ऋण कुछ समय में स्थिर हो जायेगा। दूसरी तरफ अगर प्राथमिक विस्तार मात्रा विस्तार के साथ ऋणात्मक हो तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात बढ़ता रहेगा और अगर घनात्मक हो तो ऋण स.रा.घ.उ. स्थिर रहेगा।
गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता	राज्य का बढ़ा हुआ गैर ऋण प्राप्तियाँ, बढ़े हुए ब्याज दायित्वों और बढ़े हुए प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए प्रचुर हो तो ऋण धारणीयता को और भी सुविधाजनक बनाया जा सकता है अगर बढ़ा हुआ गैर ऋण प्रप्ति बढ़े हुए ब्याज भार और बढ़े हुए प्राथमिक व्यय को पूरा करने में सक्षम हो ।

परिशिष्ट 4.1 क्रमशः

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
उधार ली गई निधि की सकल उपलब्धता	सकल ऋण प्राप्तियाँ से ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के औसत के रूप में परिभाषित किया जाता है और बताता है कि किस सीमा तक ऋण प्राप्तियों का उपयोग ऋण मोचन में किया है, उधार निधि की सकल उपलब्धता को बताता है।
विनियोग लेखे	विनियोग लेखे विधान सभा द्वारा प्राधिकृत निधियों की कुल राशि (मूल + पूरक) बजट अनुदानों में अंतर्गत प्रत्येक दत्तमत अनुदानों एवं भारित विनियोग एवं उसके सामने प्रत्येक के विरुद्ध किया गया कुल व्यय एवं अव्ययित अनुदानों या आधिक्य प्रत्येक अनुदानों या विनियोगों के अन्तर्गत अनुदानों से किया अधिक कोई व्यय को विधान मण्डल द्वारा विनियमित किये जाने की आवश्यकता है।
स्वायत्त निकायों	स्वायत्त निकायों (साधारणतः पंजीकृत समितियों एवं सांविधिक निगमों) जब कभी यह किया जाता है कि नियत कार्यों को सरकारी व्यवस्था से बाहर जाकर निर्वाहन की आवश्यकता है एवं दिन प्रतिदिन सरकारी तंत्र के दखल अन्दाजी के बिना कुछ मात्रा में स्वतंत्रता एवं लोचता के साथ स्थापित किये जाते हैं।
वचन बद्ध व्यय	राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी का व्यय, पेंशन एवं अनुदान जिस पर वर्तमान कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण है, शामिल है।
राज्य कार्यान्वयन योजना	राज्य कार्यान्वयन अधिकरण में कोई संगठन/संस्था जिसमें गैर सरकारी संगठन जो राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधि प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, उदाहरणार्थ सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन समिति एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन इत्यादि।
आकस्मिकता निधि	विधान मंडल द्वारा कानून द्वारा अग्रदाय के रूप में आकस्मिकता निधि की स्थापना की गयी है एवं समय समय पर ऐसी राशि का इसमें भुगतान किया जाता है जैसा विधि द्वारा संविधान के अनुच्छेद 115 या 116 के अंतर्गत कानून द्वारा निर्धारित है एवं उक्त निधि विधान मंडल से स्वीकृति के लिए लंबित ऐसे व्यय अदृश्य व्यय को पूरा करने के लिए राज्यपाल के विवेकाधीन रखा जाता है।
राज्य के समेकित निधि	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत गठित किया गया है जिसमें सभी प्राप्तियाँ राजस्व एवं ऋण प्रवाह सभी समेकित निधि से सभी दत्तमत एवं भारित सभी व्यय विनियोग द्वारा होता है। इसके दो प्रमुख भाग हैं जिनके नाम राजस्व लेखे (राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय) एवं पूंजीगत लेखा (लोक ऋण एवं उधार इत्यादि), शामिल है।
आकस्मिकता देयता	आकस्मिक देयता को अलग एवं स्वतंत्र इकाई के रूप में व्यय किया या नहीं भी किया जा सकता है यह भविष्य के घटना के परिणाम पर निर्भर करता है जैसे कोर्ट केस।
शोधन निधि	एक निधि जिसमें सरकार कुछ समय से ऊपर तक अपने ऋण से मुक्ति के लिए अलग रख दिया जाता है।

परिशिष्ट 4.1 क्रमशः

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
गारंटी विमोचन निधि	गारंटियाँ ऋण दाता द्वारा चूकों की स्थिति में राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक दायित्व है इसके लिए गारंटियों को बढ़ाया गया है। गारंटी विमोचन निधि की शर्तों के अनुसार वर्ष के दौरान बढ़े हुए गारंटियों के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को लंबित आह्वानित गारंटियों के कम से कम 1/5वें भाग तथा संभावित आह्वानित राशि के बराबर योगदान करना होता है।
आंतरिक ऋण	आंतरिक ऋण भारत के लोगों से लिया गया नियमित ऋण शामिल है जिसे भारत में उद्व्याहित ऋण भी कहा जाता है। यह समेकित निधि में जमा ऋण तक ही सीमित है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय का अर्थ ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व व्यय से है।
पुनर्विनियोग	पुनर्विनियोग से तात्पर्य एक प्राथमिक इकाई के विनियोग से अन्य इस प्रकार के इकाई में निधियों के स्थानान्तरण से है।
अव्ययित अनुदानों का अभ्यर्पण	राज्य सरकार के विभाग को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्ति से पहले उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों एवं विनियोगों ध्यान में आये सभी पूर्वानुमित अव्ययित अनुदानों को वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है।
पूरक अनुदान	संविधान अनुच्छेद 114 के उपबंधों के अनुसार कोई विधि द्वारा प्राधिकृत राशि अगर वर्तमान वित्तीय वर्ष में विशेष सेवा के लिए व्यय किया जाना है वर्ष में उस उद्देश्य के लिए अपर्याप्त पाया जाता है या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान जब आवश्यकता होती है या कोई नई सेवा पर अतिरिक्त व्यय जिसे उस वर्ष के मूल बजट में नहीं रखा गया है, सरकार संविधान के अनुच्छेद 115(1) के उपबंधों के अनुसार पूरक अनुदान प्राप्त करती है।
उचन्त एवं विविध	प्राप्तियाँ एवं भुगतान की मदें जिसे प्राप्ति या प्रभार के अंतिम शीर्ष में उसे उनकी प्रकृति या किसी अन्य कारण से तुरंत नहीं लिया जा सकता है, अस्थायी रूप से लेखे के मुख्य शीर्ष 8658, उचंत लेखा, क्षेत्र में उचंत एवं विविध में रखा जाता है (आगे के मार्गदर्शन के लिए लेखे के मुख्य शीर्ष के मुख्य/लघु शीर्ष की सूचि के अंतर्गत फुटनोट संदर्भित करना चाहिए) सेवा प्राप्ति जिसमें पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है उचंत लेखे शीर्ष में नहीं लेना चाहिए लेकिन "अन्य प्राप्तियाँ" के अंतर्गत राजस्व मुख्य शीर्ष जिससे संबंधित प्रतीत होता है लेना चाहिए एवं पूर्ण विवरण की प्राप्ति के बाद अंतोगत्वा सही शीर्ष में जमा कर स्थानान्तरित करना चाहिए।
लोक लेखा समिति	भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में राज्य के विनियोग लेखे राज्य के वित्तीय लेखे एवं इसी प्रकार के अन्य लेखे या वित्तीय मामलों जैसा इसके समक्ष उपस्थापित किया जाता है या समिति जो समीक्षा के आवश्यक समझे जाँच के लिए विधान मंडल द्वारा गठित एक समिति है।

परिवर्णी शब्द	पूरा नाम
ए.सी. बिल	संक्षिप्त आकस्मिक बिल
ए.ई.	समस्त व्यय
बी.ई.	बजट प्राक्कलन
सी.ए.जी.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सी.ई.	पूँजीगत व्यय
डी.सी. बिल	विस्तृत आकस्मिक व्यय
डी.ई.	विकासात्मक व्यय
एफ.सी.पी.	राजकोषीय सुधार पथ
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
स.रा.घ.उ.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
एफ.आर.बी.एम.	बजट प्रबंधन एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2005
आई.पी.	ब्याज भुगतान
एम.टी.एफ.पी.एस.	मध्यकालीन राजकोषीय नीतिगत बयान
ओ. एण्ड. एम.	प्रचालन एवं अनुरक्षण
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
आर.ई.	राजस्व व्यय
आर.आर.	राजस्व प्राप्तियाँ
एस. एण्ड डब्ल्यू	वेतन और मजदूरी
एस.ए.आर.	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन
एस.एस.ई.	सामाजिक क्षेत्रगत व्यय
टी.ई.	कुल व्यय
14वें वि.आ.	चौदहवें वित्त आयोग
यु.सी.	उपयोगिता प्रमाण-पत्र
भी.ए.टी.	मूल्य वृद्धि कर